

इसे वेबसाइट www.govtppressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2023—आषाढ़ 30, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्त्वापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 13-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, योजना, पु. मु., भोपाल को दिनांक 24 जुलाई से 18 अगस्त 2023 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 जुलाई व 19-20 अगस्त 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री विवेक शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबन्ध, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, योजना, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर केंद्रिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 103-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंबंधिक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2023 द्वारा श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेन्ज, नर्मदापुरम का दिनांक 9 से 20 जनवरी 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

6655

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 31-2022-ब-2-दो-अ.—राज्य शासन, श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, सेनानी 10वीं वाहिनी, विसबल, सागर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 जून से 5 जुलाई 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 जून के विशेष अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत लेह-लद्दाख जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 1. | श्रीमती रसना ठाकुर | — स्वयं |
| 2. | श्री प्रत्युष ठाकुर | — पुत्र |
| 3. | श्री प्रियांश ठाकुर | — पुत्र |

(2) श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य सुश्री अनुरक्ति सबनानी, भापुसे, सहायक सेनानी, 10वीं वाहिनी, विसबल, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सेनानी, 10वीं वाहिनी, विसबल, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2023

फा. क्र. 3531-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
01	श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड में श्री लखन लाल गर्ग के स्थान पर।
02	श्री शिवकांत, प्रथम जिला एवं सत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा में श्रीमती तृप्ति शर्मा के स्थान पर।
03	श्रीमती संगीता मदान, 10वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा।	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर में श्री राकेश मोहन प्रधान के स्थान पर।
04	श्री जोगिन्द्र सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्योपur।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी (रिक्त) न्यायालय में।
05	श्री आशीष कुमार मिश्रा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लहार, जिला भिण्ड।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर में श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर के स्थान पर।
06	श्री सुशील कुमार (सीनियर), प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा, जिला ग्वालियर।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा (रिक्त) न्यायालय में।
07	श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नौगाँव जिला छतरपुर।	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर (रिक्त) न्यायालय में।

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तभा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3534-2023-इकीस-ब (एक)।—राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री यश खुराना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डॉ. अंबेडकर नगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश), डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर का व्यवहार न्यायाधीश “कनिष्ठ खण्ड” के पद से त्याग-पत्र दिनांक 10 जून 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है।

फा. क्र. 3536-इकीस-ब(एक)-2023.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-2251-इकीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“73.	श्री जितेन्द्र मेहर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी।	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी।”

F. No. 3536-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 73 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate Level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“73.	Shri Jetendra Mehar, II nd Civil Judge, Senior Division, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri।”

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023

फा. क्र. 3532-इक्कीस-ब(एक)-2023.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में, दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 3, 18, 34, 42, 43, 48 एवं 86 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी				
स. क्र.	स्थान	न्यायिक अधिकारियों के नाम	पूर्व पद	वर्तमान पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, अलीराजपुर.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर.
3.	अनूपपुर	श्री रामअवतार पटेल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर.
18.	छिन्दवाड़ा	श्री मेहताब सिंह बघेल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा.
34.	हरदा	श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरदा.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, हरदा.
42.	कटनी	श्री नदीम जावेद खौन	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कटनी.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कटनी.
43.	मण्डला	श्री नरेश सिंह गौड़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डला.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डला.
48.	नरसिंहपुर	श्री रोहित कुमार	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, नरसिंहपुर.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नरसिंहपुर.
86.	भीकनगाँव	श्री राकेश भिडे	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगाँव.	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगाँव.

F. No. 3532-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 1, 3, 18, 34, 42, 43, 48 and 86 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Place	Name of Judicial Officer	Previous Designation	Current Designation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Alirajpur	Shri Rupesh Kumar Sahu	I st Civil Judge, Alirajpur.	II nd Civil Judge, Senior Division, Alirajpur
3	Anuppur	Shri Ramavtar Patel	II nd Civil Judge, Junior Division, Anuppur.	II nd Civil Judge, Senior Division, Anuppur.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Chhindwara	Shri Mehtab Singh Baghel	1 st Civil Judge, Junior Division, Chhindwara.	IV th Civil Judge Senior Division, Chhindwara.
34.	Harda	Shri Sachendra Kumar Bhadkariya.	IV th Civil Judge, Junior Division, Harda.	II nd Civil Judge Senior Division, Harda.
42.	Katni	Shri Nadeem Javed Khan	VII th Civil Judge, Junior Division, Katni.	IV th Civil Judge, Senior Division, Katni.
43.	Mandla	Shri Naresh Singh Gond	1 st Civil Judge, Junior Division, Mandla.	IV th Civil Judge, Senior Division, Mandla.
48.	Narsinghpur	Shri Rohit Kumar	V th Civil Judge, Junior Division, Narsinghpur.	II nd Civil Judge, Senior Division, Narsinghpur.
86.	Bhikangaon	Shri Rakesh Bhide	Civil Judge, Junior Division, Bhikangaon.	Civil Judge, Senior Division, Bhikangaon.

पंजी. क्र. 3591-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शशांक खरे, पांचवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इंदौर की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर श्रीमती निधि निलेश श्रीवास्तव के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किए जाने हेतु एतद्वारा, श्रम विभाग, मंत्रालय को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. 1353-841-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बालाघाट विकास योजना (प्रारूप) 2035 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 क (2) के अन्तर्गत जारी सूचना क्रमांक-841-2023-अठारह-5, दिनांक 4 मई 2023 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023 से हुआ है, उक्त सूचना की तालिका के कॉलम क्रमांक (1) के सरल क्रमांक (च) में अध्यक्ष, जनपद पंचायत, छिंदवाड़ा के स्थान पर अध्यक्ष, जनपद पंचायत, बालाघाट पढ़ा जावे। शेष व्यथावत्, रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2023

क्र. 944-1282349-2023-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) के साथ पठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 की नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल का निम्नानुसार गठन करती है :—

1. अध्यक्ष—श्री भगवानदास गोंडाने

2. सचिव—कल्याण आयुक्त (पदेन)

3. नियोजकों के प्रतिनिधि :—

1. कार्यपालक निदेशक,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
भोपाल या उसका प्रतिनिधि.
2. श्री अतुल खण्डेलवाल, संचालक,
हजारगो इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड एवं
अध्यक्ष—पीथमपुर उद्योग संचालक संगठन,
पीथमपुर, जिला धार.
3. श्री नामा मुकुन्द हरि, उप-महाप्रबंधक (एच आर),
भागीरथ कोच एण्ड मेटल फ्रेब्रीकेटर, इन्दौर.
4. श्री चंद्रप्रकाश आवतानी,
अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, रतलाम इकाई,
507, कस्टरबा नगर, गली नम्बर-8, रतलाम, मध्यप्रदेश.
5. श्री आई. के. कोचर, सी. एम. डी.
के. पी. सॉल्वेक्स प्रायवेट लिमिटेड, निवाड़ी, मध्यप्रदेश.
6. श्री अमित शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जे. पी. नगर,
रीवा, मध्यप्रदेश.

4. कर्मचारियों के प्रतिनिधि :—

1. श्री अरविन्द मिश्रा,
प्रदेश उप महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ,
मध्यप्रदेश (ग्वालियर).
2. श्री कमलेश पटेल,
प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ मध्यप्रदेश,
कटनी.
3. श्रीमती संगीता श्रीवास्तव,
महामंत्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ,
भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश, टीकमगढ़.
4. श्री आर. डी. त्रिपाठी,
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
भोपाल.

5. श्री दीपक जायसवाल,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल फॉन्ट ऑफ इंडियन,
ट्रेड यूनियन्स (NFITU), भोपाल.
6. श्री राम विलास गोस्वामी,
प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड
यूनियन्स, कार्यालय, डिलाइट टॉकीज
के पांचे, लश्कर, ग्वालियर—474001 (मध्यप्रदेश).

5. स्वतंत्र सदस्य :—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन,
भोपाल.
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन,
518, न्यू मोती बंगलो, एम. जी. रोड,
इन्दौर, मध्यप्रदेश.
3. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवा,
नंदा नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
4. श्री प्रताप करोसिया,
सामाजिक कार्यकर्ता,
(स्वच्छता अभियान प्रेरक),
इन्दौर, मध्यप्रदेश.
5. श्री श्याम सुन्दर चौकसे,
सामाजिक कार्यकर्ता,
(उपभोक्ता जागरण मंच, इन्दौर प्रमुख),
इन्दौर, मध्यप्रदेश.
6. श्री अमृत जैन,
सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यवसायी,
300, गोपपुर, एम्स्टेन्शन बजाज बिहार,
वैशाली चौराहा, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
7. डॉ. मंजूश्री जरैलिया,
जबलपुर.

No. 944-1282349-2023-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) read with Rule 5 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Niyam, 1984, the State Government, hereby, constitutes the Madhya Pradesh Labour Welfare Board as under :—

1. Chairman— Shri Bhagwandas Gondane
2. Secretary— Welfare Commissioner (Ex-officio)
3. **Representative of Employers :—**

1. Executive Director, Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal or his representative.
2. Shri Atul Khandelwal, Director, Hajargo Industries Private Limited Avam, President, Pithampur Udyog Director Sangthan, Pithampur, District-Dhar.

3. Shri Nama Mukund Hari, D. G. M. (HR), Bhagirath Coach and Metal Fabricator, Indore
4. Shri Chandra Prakash Aavtani, President, Laghu Udyog Bharti Ratlam Unit, 507, Kasturba Nagar, Gali No. 8, Ratlam, Madhya Pradesh.
5. Shri I. K. Kochhar, C. M. D., K. P. Solvex Private Limited, Niwari, Madhya Pradesh.
6. Shri Amit Sharma, Executive President, Jay Prakash Associate Limited, J. P. Nagar, Rewa, Madhya Pradesh.

4. Representative of Employees :—

1. Shri Arvind Mishra, Pradesh Deputy General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, Madhya Pradesh, Gwalior.
2. Shri Kamlesh Patel, Pradesh Mantry, Bhartiya Mazdoor Sangh, Madhya Pradesh Katni.
3. Smt. Sangita Shrivastava, Mahamantry, Aganwadi Karyakarta Sahayika Sangh Bhartiya, Mazdoor Sangh, Madhya Pradesh, Tikamgarh.
4. Shri R. D. Tripathi, President, Madhya Pradesh, Indian National Trade Union Congress, Bhopal.
5. Shri Deepak Jaiswal, National President, National Front of Indian Trade Union (NFITU), Bhopal.
6. Shri Ram Vilas Goswami, Pradesh President, Centre of Indian Trade Unions, Office Delight Talkies ke Peechhe, Laskar Gwalior-470001, Madhya Pradesh.

5. Independent Member :—

1. Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Labour Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.
2. Labour Commissioner, Government of Madhya Pradesh, 518, New Moti Bungalow, M. G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
3. Director, Employee State Insurance Service, Nanda Nagar, Indore, Madhya Pradesh.
4. Shri Pratap Karosiya, Samajik Karyakarta (Swachhata Abhiyan Prerak), Indore, Madhya Pradesh.
5. Shri Shyam Sunder Chouksey, Samajik Karyakarta (Upbhogta Jagaran Manch, Indore Head) Indore, Madhya Pradesh.
6. Shri Amrit Jain, Samajik Karyakarta Avam Vyavasayi, 300 Goppur, Aaimstenstion Bajaj Vihar, Vaishali Chouraha Indore, Madhya Pradesh.
7. Dr. Manjushri Jaroliya, Jabalpur.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2023

क्र. 1070-एफ 1 (ए) 06-2016-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 (2-ए) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश के सदस्य न्यायाधीश के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करती है :—

क्रमांक

न्यायिक अधिकारी का नाम

औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश

(1)

(2)

(3)

1

श्री संजय कुमार जैन (जूनि. 1)

सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय,

मध्यप्रदेश, इन्दौर.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2023

क्र. 1082-1282388-2023-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 18 की उपधारा (1) तथा (3) मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 251 के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—

“(1) श्री हेमंत तिवारी	अध्यक्ष
(2) कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, जबलपुर.	केन्द्र सरकार द्वारा नाम-निर्देशित सदस्य
(3) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त भवन और संनिर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक.	सदस्य, पदेन
(4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्य, अर्थात्:—	
(एक) प्रमुख सचिव, श्रम विभाग	सदस्य, पदेन
(दो) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य, पदेन
(तीन) प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि).	सदस्य, पदेन
(चार) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य, पदेन
(5) भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य:—	
(एक) श्री लोकेश विजयवर्गीय, महासचिव संनिर्माण महासंघ, देवास	सदस्य
(दो) श्रीमती मेधा दुबे, सदस्य, प्रदेश कार्य समिति, भारतीय मजदूर संघ	सदस्य
(तीन) श्री आनंद शिंदे, कार्यकारी अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र विजली कर्मचारी महासंघ, इंदौर-उज्जैन.	सदस्य
(चार) श्री आर. डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश इंटक, एम.आई.जी.-57/3ए, साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल.	सदस्य
(पांच) श्री बी. एल. चौकसे, सचिव, क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इण्डिया, भोपाल.	सदस्य
(6) किए गए भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य:—	
(एक) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सङ्केत विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.	सदस्य
(दो) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्केत विकास प्राधिकरण, भोपाल.	सदस्य
(तीन) परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.	सदस्य

(चार) आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल सदस्य
 (पांच) श्री दीपक चंसोरिया, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी,
 मेक्स एनजी सॉल्यूशन, कोलार रोड, भोपाल. सदस्य।"

2. पैरा (4), (5) तथा (6) के अधीन उल्लिखित सदस्यों की पदावधि उक्त नियमों के नियम 252 के उप-नियम (2) में विहित किए गए अनुसार होगी।

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. 1082-1282388-2023-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of Section 18 of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) read with rule 251 of the Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002, the State Government, hereby, constitute the Madhya Pradesh Building and other Construction Workers Welfare Board, which shall consist of:—

- | | |
|---|---|
| “(1) Shri Hemant Tiwari | Chairman |
| (2) Welfare Commissioner, Government of India
Ministry of Labour & Employment, Jabalpur. | Member Nominated
by the Central Government |
| (3) Chief Inspector of Inspection of Building and
Construction, appointed under sub-section (2)
of Section 42 of the Act. | Member, ex-officio |
| (4) Four members appointed by the State Government, namely:— | |
| (i) Principal Secretary, Labour Department | Member, ex-officio |
| (ii) Principal Secretary, Finance Department | Member, ex-officio |
| (iii) Principal Secretary, Urban Administration
and Development Department
(Representative of the department who is
involved in building and other construction
works). | Member, ex-officio |
| (iv) Principal Secretary, Public Works
Department (Representative of the
department who is involved in building
and other construction works). | Member, ex-officio |
| (5) Five members representing building workers appointed by the State Government, namely:— | |
| (i) Shri Lokesh Vijayvargiya General
Secretary, Construction Mahasangh, Dewas. | Member |
| (ii) Smt. Medha Dubey, Member, State
Working Committee, Bhartiya Mazdoor
Sangh. | Member |

- (iii) Shri Anand Shinde, Executive Chairman, Member
Pashchim Kshetra Bijli Karamachari
Mahasangh, Indore-Ujjain.
- (iv) Shri R. D. Tripathi, Chairman, Member
Madhya Pradesh INTUC, M.I.G.-57/3A,
Saket Nagar, Habibganj, Bhopal.
- (v) Shri B. L. Choukse, Secretary, Quality Member
Circle Forum of India, Bhopal.
- (6) Five members representing employers of building workers appointed by the State Government, namely:—
- (i) Managing Director, Madhya Pradesh Member
Road Development Corporation Limited,
Bhopal.
- (ii) Chief Executive Officer, Madhya Pradesh Member
Rural Road Development Authority, Bhopal.
- (iii) Project Director, Project Implementation Member
Unit, Public Works Department, Bhopal.
- (iv) Commissioner, Madhya Pradesh Housing Member
Board, Bhopal.
- (v) Shri Deepak Chansoria, General Manager, Member
Project Development Company, Max Energy
Solution, Kolar Road, Bhopal.

2. Term of office of the members mentioned under paras (4), (5) and (6) shall be as prescribed in sub-rule (2) of rule 252 of the said rules.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. 1846-1382836-2023-पचास.-2.—बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का संख्यांक 6) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रदेश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को अधिक प्रभावी रूप

से क्रियान्वयन किये जाने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी निम्नानुसार अधिसूचित करती हैः—

- | | |
|----------------------|--|
| 1. जिला स्तर पर | (1) समस्त जिला कलेक्टर
(2) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत |
| 2. तहसील स्तर पर | (1) समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (SDM) |
| 3. विकासखण्ड स्तर पर | (1) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
(2) समस्त परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास. |

No. 1846-1382836-2023-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of Child Marriage Prohibition Act, 2006 (No. 6 of 2007), In order to implement the Child Marriage Prohibition Act, 2006 more effectively in the State, the State Government hereby notifies the Child Marriage Prohibition Officer as follows:—

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. At the District level | (1) All District Collectors

(2) All Chief Executive Officers, District Panchayat |
| 2. At Tehsil level | (1) All Sub-Divisional Officer, Revenue (SDM) |
| 3. At Block level | (1) All Chief Executive Officer, Janpad Panchayat

(2) All Project Officers, Women and Child Development. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. एफ 15-2-2016-पन्द्रह-1.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 2021 द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार खेरे (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के पद पर 2 वर्ष की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 77 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 59-ए (3) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष श्री चन्द्रेश कुमार खेरे का अध्यक्षीय कार्यकाल उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अर्थात् दिनांक 15-12-2025 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।
3. श्री चन्द्रेश कुमार खेरे की सेवाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 59-ए के अन्तर्गत पूर्ववत् अधिशासित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 जुलाई 2023

प. क्र.-482-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूँकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	दनगन	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-483-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूँकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	बराती	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-484-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	भरिगावा	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-485-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	तरौड़ा	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-486-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) मऊगंज	(3) ऊंची कोठार	(4) 0.050	(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-487-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्तनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) मऊगंज	(3) भगतपुर	(4) 0.050	(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-488-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्तनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) मऊगंज	(3) जोरौट	(4) 0.050	(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

क्र.-489-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	डाढ़	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

क्र.-490-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	नौदिया	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 जुलाई 2023

पत्र क्र. 456-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—डाढ़
- (घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

3	0.001
99	0.001
159	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.003

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता
है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म
दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण
कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि
एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन
एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय
में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 465-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—अमवा 5
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

40 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता
है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म
दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण
कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि
एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन
एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय
में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 451-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—झलवार
- (घ) क्षेत्रफल—0.050 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

794 0.0050

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.0050

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.0050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 453-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—डिघवार

(घ) क्षेत्रफल—0.0015 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

35 0.0015

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.0015

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.0015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 452-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—पनिगांव

(घ) क्षेत्रफल—0.0025 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

70 0.0025

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.0025

ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.0025</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्ट निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 454-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—रमपुर्वा
- (घ) क्षेत्रफल—0.0050 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	

248	0.0050
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.0050</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.0050</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्ट निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 455-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—रमपुर्वा
- (घ) क्षेत्रफल—0.004 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

अ. निजी पट्टे की भूमि

93	0.001
238	0.001
317/1	0.001
367	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.004</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . .	<u>0.004</u>
----------------	--------------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 457-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—हिनौती
- (घ) क्षेत्रफल—0.004 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

452	0.001
329	0.001
230	0.001
48	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.004</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.004

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 458-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—बरयां टोला

(घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

366 0.001

259 0.001

197 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.003

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.003

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 459-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—शिवपुरा

(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

202 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

	ब. म. प्र. शासन की भूमि		
	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	
	अ+ब का योग . .	<u>0.001</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 460-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुड़
- (ग) ग्राम—तमरा देश
- (घ) क्षेत्रफल—0.016 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

71	0.001
124	0.001
198	0.001
289	0.001
361	0.001
484	0.001
743	0.001
664	0.001
823	0.001

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुड़

(ग) ग्राम—डिहुली

(घ) क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

65	0.001
190	0.001
291	0.001
404	0.001

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुड़

(ग) ग्राम—डिहुली

(घ) क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

(1)	(2)	
700	0.001	
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.005</u>	

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	
अ+ब का योग . .	<u>0.005</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 462-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—अमिलिहा
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)	
अ. निजी पट्टे की भूमि		
137	0.001	

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	
अ+ब का योग . .	<u>0.001</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 463-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—जरही
- (घ) क्षेत्रफल—0.004 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)	
अ. निजी पट्टे की भूमि		
86	0.001	
236	0.001	
369	0.001	
511	0.001	
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.004</u>	

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.004

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 464-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—उपडौरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

66	0.001
144	<u>0.001</u>

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 466-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—हटवा

(घ) क्षेत्रफल—0.004 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

8	0.001
---	-------

183	0.001
-----	-------

273	0.001
-----	-------

423	0.001
-----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.004</u>
----------------------------------	--------------

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 467-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—तमरा

(घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

59	0.001
----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.001</u>
----------------------------------	--------------

(1)	(2)	(3)
ब. म. प्र. शासन की भूमि		भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.000	

अ+ब का योग . . 0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 468-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—धर्मपुरा 2
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	

50 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 469-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—अहिरगांव
- (घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

अ. निजी पट्टे की भूमि

30 0.001

111 0.001

383 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.003

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.003

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 470-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—कोठी
- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

39	0.001
211	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.002

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 471-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—खुरहा

(घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

140 0.001

295 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 472-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

- (ग) ग्राम—धर्मनगरी

- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

28 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि	
67	0.001
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.001
अ+ब का योग . .	<u>0.002</u>
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 473-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—रीवा	
(ख) तहसील—मऊगंज	
(ग) ग्राम—रजिगांव	
(घ) क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
213	0.001
348	0.001
556	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.003</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 474-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—रजिगांव
- (घ) क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
68	0.001
208	0.001
328	0.001
532	0.001
768	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.005</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 475-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—उमरी
- (घ) क्षेत्रफल—0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

33	0.001
132	0.001
242	0.001
457	0.001
530	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.005

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.005

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 476-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—सिरसा
- (घ) क्षेत्रफल—0.008 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

31	0.001
83	0.001
177	0.001
353	0.001
469	0.001
641	0.001
841	0.001
900	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.008</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.008

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 477-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	(ग) ग्राम—धरौया 1 (घ) क्षेत्रफल—0.006 हेक्टेयर.
(क) जिला—रीवा	खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)
(ख) तहसील—मनगवां	(1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
(ग) ग्राम—धरौया 2	122 0.001
(घ) क्षेत्रफल—0.004 हेक्टेयर.	748/306 0.001
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)	428 0.001
(1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि	606 0.001
104 0.001	668 0.001
234 0.001	725 0.001
354 0.001	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.006
453 0.001	ब. म. प्र. शासन की भूमि
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.004	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000
ब. म. प्र. शासन की भूमि	अ+ब का योग . . 0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000	
अ+ब का योग . . 0.004	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 478-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
 - (ख) तहसील—मनगवां

- (ग) ग्राम—धरौया 1
(घ) क्षेत्रफल—0.006 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
122	0.001
748/306	0.001
428	0.001
606	0.001
668	0.001
725	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.006
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.006

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 479-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
 - (ख) तहसील—मनगवां
 - (ग) ग्राम—छिरहाई
 - (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
118	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.001
	—————
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
	—————
अ+ब का योग . .	0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 480-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनसुची

- (१) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
 (ग) ग्राम—जगदर
 (घ) क्षेत्रफल—०.००२ हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
28	0.001
63	0.001
की भूमि का योग . .	<u>0.002</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.002</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि ग्रांट उस पर्याप्त सम्पत्ति के अर्जन देते

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 481-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चौंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनसची

- ### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—गुढ़
 (ग) प्राम—अमवा १
 (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टी की भूमि	
93	0.001
210	0.001
अ. निजी पट्टी की भूमि का योग . .	<u>0.002</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.002</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव संचार्इ परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसारः

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू—अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद, दिनांक 16 जून 2023

प्ररूप “घ”

(नियम-6 देखिए)

पत्र क्रमांक क—वा—1—भू—अर्जन—2023—3199—रा.प्र.क्र.0058—अ—59—2022—23—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 4730—क—वा.—1—भू—अर्जन—2023, हरसूद, दिनांक 22—11—2022 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक— 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—खालवा, प.ह.न.—19, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25—11—2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम रथल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—खालवा, प.ह.न.—19	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :— 197/2 197/1 198/2 198/3 198/4 192/1 192/3	0.014 0.027 0.014 0.013 0.017 0.017 0.023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—खालवा, प.ह.न.—19	191 / 1 207 209 / 1 209 / 2 209 / 3 210 / 1 210 / 2 210 / 3 210 / 4 211 / 1 211 / 2 186 / 2 185 / 3	0.022 0.032 0.012 0.006 0.006 0.008 0.003 0.003 0.010 0.003 0.009 0.010 0.007 0.010 0.003 0.005
योग निजी भूमि		योग निजी भूमि	20	0.274
		उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः—		
		206	0.001	
		214	0.002	
		योग शासकीय भूमि	02	0.003
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	22	0.277

प्ररूप “घ”**(नियम-6 देखिए)**

पत्र क्रमांक क—वा—1—भू—अर्जन—2023—3204—रा.प्र.क्र.0024—अ—59—2022—23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक—1411—क—वा.—1—भू—अर्जन—2023, हरसूद, दिनांक 11—04—2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की रकीम क्रमांक—04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—जामन्या कलां, प.ह.न.—26, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21—04—2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा				
	खालवा	ग्राम—जामन्या कलां	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		प.ह.न.—26	537 / 2	0.001
			536 / 1	0.004
			536 / 2	0.003
			535 / 1	0.001
			533 / 1	0.002
			535 / 3	0.009
			533 / 2	0.001
			534	0.001
			526	0.002
			641	0.002
			643 / 4	0.002
			644 / 10	0.005
			647 / 2	0.001
			648 / 1	0.001
				0.002
			648 / 2	0.002
			651 / 1	0.004
			652 / 3	0.003
			655 / 1	0.003
			656 / 1	0.003
			657 / 2	0.003
			660 / 1 / 1	0.001
			660 / 1 / 4	0.003
			661 / 1	0.002
			663 / 1	0.001
			663 / 4	0.002
			663 / 3	0.006
		योग निजी भूमि	26	0.070

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—जामन्या कलां	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
		प.ह.न.—26	529	0.005
			530	0.001
			527	0.014
			642	0.003
			646	0.002
		योग शासकीय भूमि	05	0.025
	कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)		31	0.095

प्ररूप “घ”**(नियम-6 देखिए)**

पत्र क्रमांक क-वा-1-भू-अर्जन-2023-3207-रा.प्र.क्र.0063-अ-59-2022-23.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1420-क-वा-1-भू-अर्जन-2023, हरसूद, दिनांक 11-04-2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—कोठा रैय्यत, प.ह.न.—21, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—कोठा रैय्यत, प.ह.न.—21	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:— 366 23/1 24/1/3	0.001 0.003 0.011 0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—कोठा रैख्यत,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		प.ह.न.—21	24 / 1 / 2	0.001
			24 / 1 / 1	0.004
			24 / 2	0.005
			26 / 1	0.010
			199 / 1	0.006
			199 / 2	0.007
			198 / 2	0.005
			209	0.006
			210 / 2	0.015
			210 / 1	0.011
			194 / 1	0.001
			222 / 1	0.016
			224 / 1	0.001
				0.001
			224 / 2	0.010
			226	0.009
			222 / 2	0.001
			240 / 1	0.008
			240 / 2	0.003
			241 / 3	0.005
			241 / 1	0.001
			239	0.007
			273	0.001
			274 / 1	0.003
			274 / 2	0.004
			274 / 3	0.004
			116 / 1	0.016
			115 / 1	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—कोठा रैयत,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		प.ह.न.—21	113 / 3	0.004
			113 / 2	0.007
			113 / 1	0.007
			111	0.003
			127	0.007
			136	0.004
			138 / 2	0.008
			158 / 2	0.008
			138 / 1	0.006
			139 / 3	0.001
			141 / 1	0.009
			141 / 2	0.005 0.006
			159 / 2	0.013
			156 / 1	0.004
			154 / 4	0.004
			154 / 5	0.001
			154 / 2	0.002
			155 / 2	0.002
			155 / 1	0.008
			338 / 3	0.008
			338 / 2	0.009
			341 / 2	0.001
			340	0.003
			347 / 2	0.012
			344 / 2	0.001
			345	0.012
			424 / 1	0.003
			424 / 2	0.002
			424 / 3	0.002
			424 / 4	0.002
योग निजी भूमि			60	0.352

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—कोठा रैयत, प.ह.न.—21	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः—	
			48	0.001
			197	0.001
			195	0.001
			211	0.001
			233	0.001
			246	0.001
			114	0.001
			120	0.001
			126	0.010
			125	0.005
			129	0.001
			142	0.001
			151	0.001
			343	0.001
			419	0.001
		योग शासकीय भूमि	15	0.028
	कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)		153	0.380

प्ररूप “घ”**(नियम—6 देखिए)**

पत्र क्रमांक क—वा—1—भू—अर्जन—2023—3210—रा.प्र.क्र.0059—अ—59—2022—23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 1417—क—वा—1—भू—अर्जन—2023, हरसूद, दिनांक 11—04—2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक— 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—कालापाठा, प.ह.न.—22, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21—04—2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार

सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा				
खालवा		ग्राम—कालापाठा, प.ह.न.—22	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
		172 / 1	0.025	
		172 / 4	0.014	
		173	0.017	
		174	0.007	
		191	0.024	
		192 / 2	0.015	
		330	0.021	
		329	0.003	
		320 / 1	0.017	
			0.013	
		318	0.025	
			0.006	
		319 / 1	0.006	
		319 / 2	0.005	
		319 / 4	0.001	
		319 / 5	0.008	
		319 / 6	0.003	
		321 / 3	0.007	
		321 / 2	0.010	
		322 / 1	0.009	
		365 / 1	0.015	
योग निजी भूमि			19	0.251

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—कालापाठा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
		प.ह.न.—22	193	0.001
			328	0.009
			324	0.001
			323	0.001
			366	0.002
		योग शासकीय भूमि	05	0.014
	कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)		24	0.265

प्ररूप “घ”**(नियम—6 देखिए)**

पत्र क्रमांक क—वा—1—भू—अर्जन—2023—3213—रा.प्र.क्र.0060—अ—59—2022—23—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 1430—क—वा—1—भू—अर्जन—2023, हरसूद, दिनांक 11—04—2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक— 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—लखौरा माल, प.ह.न.—22, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21—04—2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—लखौरा, प.ह.न.—22	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:— 4 8	0.003 0.006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम-लखौरा माल,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-	
		प.ह.न.-22	26 / 1	0.004
			25 / 3	0.017
			24 / 3 / 1	0.008
			10 / 3	0.005
			24 / 3 / 2	0.001
			23 / 3	0.013
			17 / 3	0.006
		योग निजी भूमि	09	0.007
खण्डवा	खालवा	ग्राम-लखौरा माल,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-	
		प.ह.न.-22	1	0.002
			7	0.001
			18	0.001
		योग शासकीय भूमि	03	0.004
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	12	0.074

प्ररूप “घ”

(नियम-6 देखिए)

पत्र क्रमांक क-वा-1-भू-अर्जन-2023-3216-रा.प्र.क्र.0045-अ-59-2022-23.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4706-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023, हरसूद, दिनांक 22-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक-02 से पम्प हाऊस क्रमांक-03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-मीरपुर माल, प.ह.न.-08, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम, की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लेगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा				
	खालवा	ग्राम—मीरपुर,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
		प.ह.न.—08	30 / 1	0.003
				0.029
			29 / 1	0.003
				0.011
			29 / 2	0.002
				0.011
			29 / 3	0.003
				0.012
			29 / 4	0.005
				0.009
			29 / 5	0.001
				0.005
			28 / 3	0.003
			28 / 2	0.003
			28 / 1	0.004
			27 / 1	0.004
			27 / 2	0.005
			7	0.004.
			8 / 2	0.008
			10 / 4	0.004
			10 / 2	0.003
			1 / 1	0.007
			1 / 2	0.012
			1 / 3	0.012
			1 / 4	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मीरपुर, प.ह.न.—08	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		48 / 3		0.003
		48 / 2		0.016
		48 / 1		0.013
		48 / 4		0.014
		45		0.032
		141		0.006
				0.007
		142		0.004
				0.005
				0.003
		143 / 1 / 1		0.004
				0.001
		144 / 2 / 1		
				0.008
		143 / 1 / 2		0.007
		144 / 2 / 2		0.020
		144 / 1 / 2		0.004
		152		0.013
		155 / 2		0.023
		155 / 1		0.013
		156 / 2		0.005
		156 / 5		0.015
		156 / 3		0.009
		156 / 4		0.009.
		144 / 3		0.005
		144 / 4		0.002
		146 / 5		0.001
		146 / 6		0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मीरपुर,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		प.ह.न.—08	147	0.007
			174	0.001
			173	0.019
			172 / 1	0.011
			170 / 1	0.004
			172 / 2	0.001
			170 / 2	0.012
			165	0.016
			164	0.003
			166	0.006
			163 / 1	0.004
			163 / 2	0.006
			163 / 3	0.014
			298 / 1	0.012
			298 / 6	0.003
योग निजी भूमि :-			57	0.538
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मीरपुर,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः—	
		प.ह.न.—08	9	0.001
			31	0.005
			38	0.001
			153	0.001 0.001
			145	0.003 0.001
			148	0.002
			157	0.001
योग शासकीय भूमि :-			07	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			64	0.0554

प्ररूप “घ”

(नियम-6 देखिए)

पत्र क्रमांक क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.0016-अ-59-2022-23.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1414-क-वा-1-भू-अर्जन-2023, हरसूद, दिनांक 11-04-2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-मानपुरा, प.ह.न.-26, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम-मानपुरा, प.ह.न.-26	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-	
			58 / 1	0.003
			53 / 1	0.018
			54 / 1	0.046
			51 / 1 / 2	0.029
				0.049
			51 / 2 / 1	0.014
				0.005
			76	0.037

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मानपुरा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		प.ह.न.—26	131	0.011
			132	0.034
			193	0.020
			246 / 1	0.013
			248 / 1	0.038
			248 / 2	0.001
			176 / 1	0.025
			177 / 1	0.024
			177 / 2	0.006 0.023
			299 / 2	0.018
			298	0.018
			297	0.009
			311 / 3	0.012
			311 / 1	0.014
			311 / 2	0.027
			343 / 3	0.006
			343 / 4	0.012
			354 / 1	0.002
			349	0.007
			352 / 2	0.021 0.001 0.007 0.002
			353	0.007 0.024
			358	0.004
			191 / 1	0.005
			183 / 1	0.002
			150 / 1 / 2	0.014
			150 / 1 / 3	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मानपुरा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
		प.ह.न.—26	153 / 2	0.003
			153 / 3	0.003
			154	0.008
			155	0.003
			157 / 2	0.005
			157 / 3	0.004
			158 / 1	0.007
			169 / 2	0.009
			169 / 1	0.008
			407 / 3	0.005
			407 / 4 / 2 / 1	0.004
			407 / 4 / 2 / 2	0.007
			407 / 6	0.001
			407 / 1 / 2	0.011
			72	0.007
			86	0.002
			120 / 2	0.002
			120 / 3	0.015
			120 / 6	0.007
				0.002
			120 / 5	0.011
योग निजी भूमि :—			52	0.742
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मानपुरा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
		प.ह.न.—26	57	0.002
			52	0.028
			50	0.008
			48	0.005
			75	0.033
				0.011
				0.021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मानपुरा, प.ह.न.—26	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः—	
		74	0.011	
		77	0.022	
		133	0.001	
		194	0.011	
		190	0.003	
		189	0.018	
		181	0.003	
		252	0.002	
		179	0.006	
		180	0.001	
		173	0.001	
		324	0.001	
		302	0.001	
		312	0.001	
		344	0.008	
		345	0.001	
		348	0.001	
		350	0.012	
		356	0.001	
			0.001	
		361	0.010	
		360	0.005	
		363	0.001	
		357	0.001	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मानपुरा, प.ह.न.—26	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः—	
		192		0.012
				0.028
		184		0.001
			149	0.005
			151	0.001
			163	0.001
			405	0.001
			400	0.001
			399	0.001
				0.002
		50		0.001
				0.001
			48	0.003
			49	0.009
		73		0.002
				0.010
			77	0.002
			78	0.004
			79	0.002
			88	0.001
			89	0.024
			126	0.001
योग शासकीय भूमि :—			46	0.344
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			98	1.086

प्ररूप “घ”

(नियम-6 देखिए)

पत्र क्रमांक क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.0062-अ-59-2022-23.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1423-क-वा-1-भू-अर्जन-2023, हरसूद, दिनांक 11-04-2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-लखौरा रै., प.ह.न.-22, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम-लखौरा रै., प.ह.न.-22	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:- 118 / 1 / 2 118 / 2 / 1 118 / 3 119 114 / 2 / 1 / 1 114 / 2 / 2 114 / 2 / 1 / 2	0.008 0.010 0.008 0.022 0.013 0.009 0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—लखौरा रे.,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
		प.ह.न.—22	172	0.003
			176	0.005
			196 / 3	0.008 0.003
			196 / 2	0.009
			211 / 1	0.003
			213 / 2	0.013
योग निजी भूमि			13	0.117
खण्डवा	खालवा	ग्राम—लखौरा रे.,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
		प.ह.न.—22	115	0.001
			175	0.003
			177	0.001
			179	0.001
			212	0.001
			214	0.001
योग शासकीय भूमि			06	0.008
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			19	0.125

प्ररूप “घ”

(नियम-6 देखिए)

पत्र क्रमांक क—वा—1—भू—अर्जन—2023—रा.प्र.क्र.0023—अ—59—2022—23.— अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 1427—क—वा.—1—भू—अर्जन—2023, हरसूद, दिनांक 11—04—2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पम्प हाऊस क्रमांक—2 से पम्प हाऊस क्रमांक—3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02,03 व 04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—मोहन्याखेड़ा रैथ्यत, प.ह.न.—23, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा, रैथ्यत, प.ह.नं.—23	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
		39 / 1		0.003
		41 / 1		0.015
		42 / 1		0.007
		45 / 3 / 1		0.012
		45 / 3 / 2		0.007
		45 / 1 / 2		0.002
		45 / 3 / 3		0.009
		33 / 2		0.002
		33 / 3		0.003
		33 / 1		0.005
		28 / 1		0.003
		28 / 2		0.005
		25 / 1 / 1		0.006
		25 / 1 / 2		0.006
		25 / 2		0.003
				0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
		रैथत, प.ह.नं.—23	24 / 6	0.003
			147 / 6	0.012
			147 / 5	0.010
			145 / 2	0.023
			145 / 1	0.009
			144	0.016
			143 / 2	0.009
			142 / 2	0.028
			143 / 3	0.005
			140 / 1	0.006
			150 / 2 / 1	0.019
				0.031
				0.013
				0.009
			151 / 2	0.002
				0.061
				0.002
			314 / 1	0.002
				0.027
			310 / 2	0.013
			309 / 2	0.014
			309 / 1	0.012
			308 / 2	0.029
			274 / 2	0.014
			274 / 1	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
		रैख्यत, प.ह.नं.—23	271 / 2	0.010
			271 / 1	0.016
			269 / 1	0.012
			269 / 2	0.006
			269 / 3	0.015
			268 / 3	0.007
			268 / 4	0.007
			268 / 5	0.007
			268 / 6	0.004
			268 / 7	0.003
			268 / 8	0.005
			268 / 9	0.005
			263 / 1	0.011
			263 / 2	0.010
			263 / 3	0.011
			258 / 3	0.026
			258 / 2	0.008
			257 / 2	0.011
			250 / 2	0.027
			391 / 1	0.016
			391 / 2	0.015
			393	0.024
			395 / 1 / 1	0.008
			395 / 1 / 2	0.008
			395 / 2	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		रैथत, प.ह.नं.—23	401	0.011
			402 / 2	0.011
			402 / 3	0.016
			402 / 1	0.016
			400 / 3	0.040
			400 / 4	0.015
			330 / 1 / 1 / 2	0.013
			330 / 2	0.009
			330 / 8	0.007
			330 / 7	0.011
			328 / 2	0.001
			329 / 1	0.024
			333 / 1	0.004
			333 / 2	0.009
			333 / 3	0.005
			346	0.003
			349	0.005
			247 / 3	0.008
			247 / 4	0.007
			246 / 3	0.007
			246 / 2	0.004 0.01
			246 / 1	0.006
			240	0.001
			241	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा, रैयत, प.ह.नं.—23	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
			242	0.002
			39 / 2	0.005
			40 / 1	0.014
			40 / 3	0.044
			40 / 2 / 3	0.061
			45 / 1 / 1	0.036
			45 / 1 / 3	0.010
			46 / 1	0.036
			47 / 1	0.041
			82 / 1	0.055
			83 / 1	0.026
			83 / 5	0.019
			83 / 4	0.016
			100 / 1	0.015
			107 / 1	0.013
			161 / 1	0.015
			152 / 1	0.019
			150 / 1	0.026
		योग निजी भूमि	101	1.476
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा, रैयत, प.ह.नं.—23	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
			38 / 1	0.007
			45 / 2	0.001
			35	0.001
			32	0.001
			26	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
		रैथत, प.ह.नं.—23	146	0.002
			149	0.002
			312	0.002
			307	0.001
			218	0.011
			261	0.001
			249	0.003
				0.004
			392	0.043
				0.003
			331	0.001
				0.015
			344	0.011
				0.008
			345	0.012
			347	0.010
			385	0.001
			249	0.002
			47 / 2	0.002
			83 / 2	0.002
			84	0.013
			85	0.004
			86 / 2	0.002
			86 / 1	0.047

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मोहन्याखेड़ा,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
		रैथत, प.ह.न.—23	88	0.012
			102 / 2	0.003
			100 / 2	0.023
			107 / 2	0.027
			108 / 2	0.029
			99	0.007
			156	0.003
			157 / 1	0.065
			157 / 2	0.014
			158	0.002
			159	0.012
			160	0.010
			154	0.004
		योग शासकीय भूमि	38	0.424
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	139	1.900

हरसूद, दिनांक 6 जुलाई 2023

प्ररूप “ख”**{नियम-5 का उपनियम (2)}**

पत्र क्रमांक-3512-क-वा-1-भू-अर्जन-2023-क्र.0010-आ-59-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-02 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—मौजवाड़ी रैथत,, प.ह.न.—42, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मौजवाड़ी, रैय्यत प.ह.नं.-42	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:— 14 / 2	0.009
			16 / 5	0.006
			16 / 4	0.005
			18	0.021
			20 / 1	0.012
			20 / 2	0.004
			19	0.005
			28 / 4	0.002
			28 / 1	0.025
			228 / 3	0.007
			228 / 1	0.008
			228 / 2	0.004
			251 / 1 / 1	0.004
			251 / 1 / 2	0.004
			251 / 2	0.004
			251 / 3	0.010
			260	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मौजवाड़ी, रैयत, प.ह.नं.—42	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:—	
			261 / 1	0.004
			258 / 2	0.004 0.002
			258 / 1	0.011
			269	0.001 0.008
			268 / 1	0.006
			268 / 2	0.006
			319 / 1	0.007
			320	0.006
			321 / 2	0.011
			323 / 1	0.008
			323 / 2	0.006
			324	0.002
		योग निजी भूमि	29	0.236
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मौजवाड़ी, रैयत, प.ह.नं.—42	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
			1	0.002
			15	0.012
			17	0.002
			25	0.001
			247	0.001
			248	0.001
			262	0.001
			271	0.001
		योग शासकीय भूमि	08	0.021
	कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)		37	0.257

प्र॒र॒॒ल॒प॒ “ख॒”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-3515-क-वा-1-भू-अर्जन-2023-क्र.0053-अ-59-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-02 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक-02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम सैदाबाद, प.ह.न.-15, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, जिला-खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा। :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम-सैदाबाद, प.ह.न.-15	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:- 27 / 2 28 / 3 30 / 2 85 101 / 2 101 / 3 / 2 101 / 3 / 1 143 / 2 143 / 1	0.010 0.006 0.002 0.012 0.021 0.014 0.028 0.011 0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—सैदाबाद,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		प.ह.न.—15	149 / 1	0.001
			146 / 1	0.023
			146 / 2	0.019
				0.030
		190		0.015
				0.001
		189		0.007
				0.001
		185		0.019
			360 / 1	0.039
			360 / 2	0.025
			579 / 2	0.001
		361		0.046
			343 / 2	0.020
			343 / 1	0.021
		340		0.013
			344 / 1	0.002
			307 / 2	0.006
			308 / 2	0.002
			308 / 3	0.023
			309 / 1	0.022
		56 / 1		0.003
			57 / 1	0.003
			57 / 2	0.004
			57 / 3	0.002
			59 / 11	0.003
			59 / 8	0.002
			59 / 5	0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			59 / 5	0.003
खण्डवा	खालवा	ग्राम—सैदाबाद, प.ह.न.—15	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
			59 / 2	0.002
			61 / 1	0.009
			65 / 2 / 1	0.006
			65 / 1	0.001
			64	0.004
			72	0.002
				0.001
			157	0.006
				0.001
			156	0.007
				0.001
			73	0.010
			70 / 1	0.020
				0.003
			158	0.002
			159	0.012
			165	0.006
			153	0.004
			167	0.001
			162 / 4	0.017
				0.006
			178	0.005
				0.001
			336 / 1	0.008
			336 / 4	0.003
			334 / 1	0.013
			335	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—सैदाबाद, प.ह.न.—15	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः—	
		319	0.007	
		154 / 2	0.005	
		173	0.008	
		370 / 2	0.015	
		472 / 2	0.004	
		518 / 4	0.011	
		518 / 5	0.007	
		514	0.003	
		550 / 1	0.001	
		550 / 2	0.003	
		550 / 3	0.002	
		553 / 3	0.002	
		554 / 3	0.002	
		553 / 1	0.002	
		554	0.001 0.001	
		553 / 2	0.003	
		554 / 2	0.002	
		555 / 1 / 1	0.009	
		579 / 3	0.007	
		580 / 3	0.002	
		596 / 3	0.006 0.003	
		596 / 2	0.004	
		596 / 1	0.005	
		599 / 1	0.004	
		599 / 5	0.006	
		101 / 4	0.003	
योग निजी भूमि		82	0.745	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—सैदाबाद,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:—	
		प.ह.न.—15	1	0.009
			31	0.008
			32	0.020
			49	0.002
			87	0.026
			90	0.015
			91	0.005
			92	0.006
			76	0.002
			145	0.005
			176	0.002
			188	0.002 0.004
			180	0.003
			328	0.005
			321	0.003
			100	0.004
			66	0.001
			375	0.001
			168	0.004
			176	0.001
			177	0.019 0.002 0.006
			365	0.011
			364	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	ग्राम—सैदाबाद, प.ह.न.—15	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः—	
		338 / 2	0.001	
		336 / 2	0.001	
		328	0.001	
		321	0.001	
		170	0.004	
		175	0.007	
		176	0.001	
		369	0.009	
		474	0.004	
		475	0.001	
		479	0.002	
		484	0.002	
		485	0.002	
		520	0.002	
		513	0.001	
		600	0.001	
		451	0.001	
		584	0.001	
	योग शासकीय भूमि	41	0.223	
	कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	123	0.968	

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश,
राजगढ़, दिनांक 7 जुलाई 2023

—: अनुसूची – 1 :–

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०।/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०।/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक २ में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम झाड़क्या, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय जिसका नामवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची २ में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची २ की भूमि की अनुसूची १ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची – 2 :–

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम झाड़क्या तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ी की तहसील-नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रक्का (हे.मे.)	अर्जित भूमि (हे.मे.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बालाप्रसाद पिता किशनलाल जाति गाड़री पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	214/1/1	0.045	0.032	
	योग –	1	0.045	0.032	
2	विनोद पवन ज्योति पिता मोडसिंह, रामकंवरबाई बेवा मोडसिंह गाड़री पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	214/1/2	0.044	0.031	
	योग –	1	0.044	0.031	
3	किशनलाल पिता मोहनलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	214/2	0.088	0.063	
	योग –	1	0.088	0.063	
4	जगन्नाथरिंह पिता नारायणरिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/1	0.531	0.405	
	योग –	1	0.531	0.405	

5	गजराजसिंह प्रहलादसिंह डालसिंह प्रीतमसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/2/1	0.203	0.203	
	योग –	1	0.203	0.203	
6	चन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/2/2	0.202	0.202	
	योग –	1	0.202	0.202	
7	नरबदाप्रसाद पिता भागीरथ, कोमलबाई पिता भागीरथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/1	0.253	0.253	
	योग –	1	0.253	0.253	
8	शंकर पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/2	0.253	0.253	
	योग –	1	0.253	0.253	
9	सम्पतबाई बेवा नाथूलाल, शिवनारायण पिता नाथूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/3	0.253	0.253	
	योग –	1	0.253	0.253	
10	सोरमबाई बेवा बल्देव, पर्वत पिता बल्देव, ललताबाई पिता बल्देव जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/4	0.253	0.253	
	योग –	1	0.253	0.253	
11	कल्ला पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/5	0.253	0.253	
		312/6	0.253	0.253	
	योग –	2	0.506	0.506	
12	जहांगीर खां शबुददीन खां नबी खां पिता रसूलखां मेहरुन बी खेरुनबी सायरा बी पिता रसूल खां नौशदखां कालेखां अफसाना बी रुखसाना बी गुडडी बी समीनास बी कल्ली बी पिता समसुददीन खां जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	312/12	0.506	0.470	
	योग –	1	0.506	0.470	

13	उरजन पिता नन्हूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/13	0.421	0.421	
	योग -	1	0.421	0.421	
14	मुशीलाल पिता ताराचंद, गोरखन पिता ताराचंद जाति नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/18	0.503	0.503	
	योग -	1	0.503	0.503	
15	कमलाकुंवर पति नर राजेन्द्रसिंह जाति राजपत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/5 319/7	0.228 0.227	0.228 0.227	
	योग -	2	0.455	0.455	
16	विष्णु पिता बंशीलाल, लखन पिता बंशीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/1/ 2	0.531	0.450	
	योग -	1	0.531	0.450	
17	रतनलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/3	1.000	1.000	
	योग -	1	1.000	1.000	
18	मोडसिंह पिता परसराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/4	1.000	0.780	
	योग -	1	1.000	0.780	
19	घीसालाल पिता नाथूलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/4	0.506	0.270	
	योग -	1	0.506	0.270	
20	लक्मीचंद रामचरण सुगनबाई पदमबाई पिता हीरालाल जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1/1/ 1	0.057	0.057	
	योग -	1	0.057	0.057	
21	रामगोपाल पिता जगन्नाथ जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1/1/ 2	0.057	0.057	
	योग -	1	0.057	0.057	
22	जगदीश पिता शंकरलाल हि. 50 पैसे बसंतीबाई बेवा मदनलाल गोविन्द फूलसिंह पिता मदनलाल हि. 50 पैसे जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	375/2	0.042	0.042	

	योग –	1	0.042	0.042	
23	नाथू पिता फुन्दियो जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/1	0.171	0.171	
	योग –	1	0.171	0.171	
24	रामा पिता फुन्दिया जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/2	0.171	0.171	
	योग –	1	0.171	0.171	
25	बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	439 464/1	0.152 0.068	0.152 0.068	
	योग –	2	0.220	0.220	
26	मायाबाई पति हेमराज जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/1/1	0.076	0.076	
	योग –	1	0.076	0.076	
27	राजलबाई पति बंशीलाल जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/1/2/ 1	0.172	0.172	
	योग –	1	0.172	0.172	
28	प्रेमबाई पत्नी हेमराज जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/2/1	0.325	0.325	
	योग –	1	0.325	0.325	
29	खेमचंद नवलसिंह पिता लालजी, शिवनारायण रामसिंह कमलसिंह चैनसिंह पिता रामप्रसाद, हरिसिंह पिता चैनसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/2	0.315	0.015	
	योग –	1	0.315	0.015	
30	नवलसिंह पिता लालजीराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/3/1/ 1 500/3/2	0.253 0.066	0.253 0.066	
	योग –	2	0.319	0.319	
31	प्रीतमसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/3/1/ 2	0.253	0.076	
	योग –	1	0.253	0.076	
32	पप्पू अनिल पिता कमलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/3/1/ 3	1.265	0.400	
	योग –	1	1.265	0.400	
22	मंगलेश प्रती चेनसिंह जाति देशवाली पता	500/4	0.221	0.221	

	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502/3	0.150	0.025	
	योग -	2	0.371	0.246	
34	शिवनारायण पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	501/1	0.550	0.040	
		502/1	0.693	0.220	
	योग -	2	1.243	0.260	
35	गायत्रीबाई, चतरबाई, हेमलताबाई, ओमबतीबाई पिता कमलसिंह कैलाशीबाई	501/2	0.152	0.052	
		502/2	0.589	0.050	
	योग -	2	0.741	0.102	
36	रामसिंह पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502/4	0.241	0.015	
	योग -	1	0.241	0.015	
37	हरिसिंह पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502/5	0.223	0.040	
	योग -	1	0.223	0.040	
38	मिश्रीलाल पिता कनीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/2	0.366	0.020	
		514/2	0.716	0.125	
		516/2	0.295	0.295	
		518/2/1	0.155	0.155	
		525/3/1	0.254	0.254	
	योग -	5	1.786	0.849	
39	बूधदा पिता कनीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/3	0.366	0.020	
		514/3/1	0.261	0.010	
	योग -	2	0.627	0.030	
40	मु सुरजीबाई बेवा प्रभुलाल, प्रेमनारायण रामकिशन ओमप्रकाश पिता प्रभुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/4	0.367	0.020	
		514/4	0.623	0.030	
		515/2	0.051	0.051	
		518/4/1	0.539	0.539	
	योग -	4	1.580	0.640	
41	रामप्रसाद पिता कनीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/5	0.367	0.020	
		508/3/1	0.471	0.108	
		518/5/1	0.579	0.500	
	योग -	3	1.417	0.628	
42	बद्रीप्रसाद पिता राधेकिशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	508/1/1	0.108	0.108	
		515/1	0.265	0.265	
		516/1	0.148	0.148	
	योग -	3	0.521	0.521	

43	प्रेमनारायण पिता जगदीशप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी भूमि स्वामी	508/2	0.108	0.108	
	योग -	1	0.108	0.108	
44	मोहन शांतिबाई कौशल्याबाई दौलत पिता सावलिया दिनेश विनोद कमलाबाई पिता	510/1/1	1.653	1.653	
		513/2	0.738	0.738	
	योग -	2	2.391	2.391	
45	शिवप्रसाद पिता देवचंद, मुकेशकुमार पिता रोडसिंह जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	510/1/2	0.065	0.065	
	योग -	1	0.065	0.065	
46	घनश्याम पिता रतनलाल जाति रातोर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	510/2	0.065	0.065	
	योग -	1	0.065	0.065	
47	हेमराज पिता मूलचंद जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	511/1/1/ 1	0.429	0.429	
		513/1/1	0.396	0.396	
	योग -	2	0.825	0.825	
48	कालूराम पिता मूलचंद जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/2/2	0.383	0.383	
		511/1/2	0.630	0.630	
		513/1/2	0.395	0.395	
	योग -	3	1.408	1.408	
49	लालजी पिता हरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	513/3	0.191	0.191	
	योग -	1	0.191	0.191	
50	रामप्रसाद पिता राधेकिशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	518/1/1	1.221	0.215	
	योग -	1	1.221	0.215	
51	विजयपालसिंह पिता नर राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	518/2/2	0.506	0.265	
	योग -	1	0.506	0.265	
52	पूनमचन्द्र पिता रामप्रसाद जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	518/3	0.659	0.659	
	योग -	1	0.659	0.659	

53	गोविन्दराम पिता मिश्रीलाल, धापूबाई पत्नी गोविन्दराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	523/2	0.506	0.506	
	योग –	1	0.506	0.506	
54	मिश्रीलाल पिता हरकिशन, प्रेमबाई पत्नी मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	523/3	0.253	0.253	
	योग –	1	0.253	0.253	
55	शरीफ खां पिता रफीक खां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	525/1	0.380	0.380	
		525/2	0.252	0.252	
		525/3/2	0.126	0.126	
	योग –	3	0.758	0.758	
56	दामोदर, राजू शेषराम पिता चन्द्रसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी भूमि स्वामी	455/1	0.506	0.200	
	योग –	1	0.506	0.200	
57	विकमसिंह, ब्रजमोहन, विजयसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी भूमि स्वामी	455/2	0.506	0.200	
	योग –	1	0.506	0.200	
58	बंशीलाल पिता रामचन्द्र जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	416	0.215	0.215	
	योग –	1	0.215	0.215	
59	छगन पिता बुधराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/8	0.188	0.188	
	योग –	1	0.188	0.188	
	महायोग :-		30.117	20.747	

झूब प्रभावित शेष परिसम्पत्ति की सूची

स.क्र.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (व.मी.)	मकान का प्रकार	रिमा क
1	2	3	4	5	6	7
		7.15	6.40	45.76	कच्चा मकान	
1	शिवनारायण पिता मोतीलाल	7.15	3.70	26.46	पक्का मकान	

		4.40	5.35	23.54	टीनशेड	
2	रामचरण पिता मोतीलाल	6.40	8.10	51.84	कच्चा मकान	
		2.90	8.10	23.49	टीनशेड	
		9.50	3.50	33.25	पशुशेड कच्चा	
		9.50	3.00	28.50	पशुशेड टीनशेड	
		8.20	7.15	58.63	पक्का मकान	
3	देवकरण पिता रामलाल	9.80	3.40	33.32	पक्का मकान	
		7.80	4.70	36.66	पक्का मकान	
		6.50	4.10	26.65	टीनशेड	
		2.50	1.30	3.25	पक्का शोचालय	
		10.90	3.70	40.33	टीनशेड	
4	महेश पिता धनलाल	10.90	3.00	32.70	टीनशेड	
		6.20	3.80	23.56	कच्चा मकान	
		7.20	3.40	24.48	टीनशेड	
		3.00	2.80	8.40	टीनशेड	
		4.60	3.00	13.80	टीनशेड	
6	पवन पिता मोरसिंह	11.00	4.55	50.05	कच्चा मकान	
7	रमेश पिता नाथूलाल	7.15	3.90	27.89	पक्का मकान	
		11.00	3.40	37.40	पशुशेड टीनशेड	
		7.15	3.45	24.67	टीनशेड	
8	इन्द्रसिंह पिता प्रभुलाल	9.90	8.00	79.20	पक्का मकान	
		4.20	3.30	13.86	टीनशेड	
		2.30	2.30	5.29	टीनशेड	
9	नाथूलाल पिता फून्दीलाल	2.70	2.50	6.75	पक्का चबूतरा	
10	देवीसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	2.20	1.90	4.18	पक्का चबूतरा	
	कुल योग -			783.90		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

—: अनुसूची – 1 :–

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०१/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०१/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक २ में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम मंगतपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची २ में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा-१९ के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची २ की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची १ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-१९(३) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची – 2 :–

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मंगतपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(१) भूमि :-					
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित भूमि (हे.मे.)	
१	२	३	४	५	
१	रामनारायण पिता कुन्जीलाल जाति बेडिया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	२/५/१	१.१४९	०.३३६	
	योग –	१	१.१४९	०.३३६	
२	मोहनलाल पिता कुन्जीलाल जाति बेडिया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	२/५/२	१.३८०	०.३४६	
	योग –	१	१.३८०	०.३४६	
३	नरबदीबाई पत्नी परतापसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	२/४/२/२	०.६१९	०.३७०	
	योग –	१	०.६१९	०.३७०	
४	रामबाबू, प्रेमसिंह, भोलाराम, सुशीलबाई पिता भवरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	२/१२/१	१.०१२	०.४४२	
	योग –	१	१.०१२	०.४४२	
५	रामसिंह पिता बिहारीलाल जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	२/१२/२	०.७५८	०.१५८	
	योग –	१	०.७५८	०.१५८	

6	कमलसिंह पिता भूराजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/12/3	0.759	0.759
	योग -	1	0.759	0.759
7	अजबसिंह पिता आत्माराम जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/15/2	0.253	0.253
	योग -	1	0.253	0.253
8	रामसिंह पुत्र धीसीबाई जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	3/3	0.076	0.056
	योग -	1	0.076	0.056
	महायोग -		6.006	2.720

(2) मकान / परिसम्पत्ति :-		मकान का प्रकार	रक्का (वर्ग मीटर)	रिमार्क
स.कं.	नाम	3	4	5
1	2			
1	पर्वतसिंह पिता रामनारायण	टीन शेड	16.65	
2	सीमाबाई पति पर्वतसिंह	ईट की दीवार	55.00	एल.डी.पी.ई
3	धर्मेन्द्र पिता भागमल	ईट की दीवार	32.20	एल.डी.पी.ई
4	जगदीश पिता नन्दूलाल	ईट की दीवार	49.72	एल.डी.पी.ई
5	कैलाश पिता नन्दूलाल	पक्का चबूतरा	7.84	
6	ममताबाई पति हेमराज	पक्का छत्री	6.60	
7	नारायणसिंह पिता छोटेलाल	पक्का चबूतरा	10.89	
8	राधेश्याम पिता आत्माराम	पक्का चबूतरा	7.84	
9	कमलसिंह पिता रामप्रसाद	बायोगेस संयंत्र		4 घन मीटर
10	रामनारायण पिता कुञ्जीलाल	बायोगेस संयंत्र		4 घन मीटर
11	कालूराम पिता काशीराम	वॉटर टैंक	0.98	
	योग :-		187.72	

(3) शोचालय :-		लम्बाई	चौड़ाई	रक्का (वर्ग मीटर)
स.कं.	नाम	3	4	5
1	2			
1	रामजीलाल पिता नारायणसिंह	1.70	1.30	2.21
2	सोनू पिता बद्रीलाल	1.50	1.50	2.25
3	राजू पिता कैलाश	1.50	1.50	2.25
4	बबलू पिता नन्दूलाल	1.50	1.50	2.25
5	गोकुल पिता नन्दूलाल	1.50	1.50	2.25
6	पर्वतसिंह पिता रामनारायण	4.50	1.30	5.85

7	बृजमोहन पिता गोपीलाल	1.30	1.30	1.69
8	लखनलाल पिता गोपीलाल	1.50	1.50	2.25
9	आमेप्रकाश पिता रामदयालसिंह	1.30	2.00	2.60
10	अरविन्दसिंह पिता लक्षणसिंह	1.50	1.20	1.80
11	राधाबाई पति देवकरण	2.00	2.30	4.60
12	लाडसिंह पिता देवीलाल	1.50	1.50	2.25
13	गोरीलाल पिता रामरतन	4.10	3.80	15.58
14	रामसिंह माता घीसीबाई	1.70	0.90	1.53
योग :-				49.360

(4) फलदार पेड़ पोधे :-				
स.कं.	नाम	सर्व नम्बर	फलदार पेड	संख्या
1	अजबसिंह पिता आत्माराम जाति नट	126/1/2/4	संतरा	55
			सीताफल	90
2	देवकरण पिता किशनलाल जाति नट	7/1/1/2	संतरा	65
3	रामसिंह माता घीसीबाई जाति नट	126/1/4	मोसंबी	70
			जामफल	30
4	शिवनारायण पिता किशनलाल जाति नट	7/1/1/1	संतरा	65

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

—: अनुसूची - 1 :—

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०४/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०४/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सांका जागीर (भोईपुरा, मालीपुरा) के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-१९ के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-१९(३) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची - 2 :—

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सांका जागीर (भोईपुरा, मालीपुरा) की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	पर्वत सिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू—स्वामी	96/1/1/1/1	0.009	0.009
	योग —	1	0.009	0.009
2	जालमसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू—स्वामी	96/1/1/2	0.022	0.022
	योग —	1	0.022	0.022
3	दीपसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू—स्वामी	96/1/1/3	0.022	0.022
	योग —	1	0.022	0.022
4	दयालसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू—स्वामी	96/1/5	0.041	0.041
	योग —	1	0.041	0.041
5	नारायण सिंह पिता अमरसिंह भर्मी बाई पिता अमर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू—स्वामी	96/3/1	0.076	0.070
	योग —	1	0.076	0.070

6	रामसुरी बाई पिता गणपत, सोना बाई बेवा गणपत जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/3/2	0.076	0.069
	योग –	1	0.076	0.069
7	जालमसिंह पिता मुन्शीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	181/1/1	1.048	0.415
		181/2/2/1	0.322	0.200
	योग –	2	1.370	0.615
8	विजयसिंह पिता कालूसिंह, सुआबाई बेवा कालूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	181/2/1	1.473	0.125
	योग –	1	1.473	0.125
9	पूनाबाई बेवा नन्नूलाल सूरजसिंह ज्ञानसिंह पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	183/1/3	0.627	0.521
	योग –	1	0.627	0.521
10	हेमसिंह पिता अमरसिंह, कृष्णाबाई पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	183/2/2	0.472	0.472
	योग –	1	0.472	0.472
11	जगमोहन पिता गेंदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	199/1	0.291	0.291
	योग –	1	0.291	0.291
12	सुरेश कुमार पिता महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	218/1/1	1.012	0.812
	योग –	1	1.012	0.812
13	बबलू पिता महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	218/1/2	0.215	0.215
	योग –	1	0.215	0.215
14	चन्द्रप्रकाश पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	218/2/1	1.502	1.502
	योग –	1	1.502	1.502
15	कैलाश पिता अमरसिंह हि. 1/3, बद्री पिता अमरसिंह हि. 1/3, रामबाबू पिता अमरसिंह हि. 1/3 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	239/34	0.063	0.063
	योग –	1	0.063	0.063
16	कानीराम पिता तुलसीराम हि. 1/4, किशनलाल पिता तुलसीराम हि. 1/4, रामसिंह पिता तुलसीराम हि. 1/4, गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम हि. 1/4 जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामी	240/192	1.075	1.075
		245/151	0.455	0.455
	योग –	2	1.530	1.530

17	पवित्राबाई पति कैलाश जाति नाई निवासी ग्राम भू-स्वामी	242/199	0.228	0.228
	योग -	1	0.228	0.228
18	गजराज सिंह पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	244/155/3	0.063	0.063
	योग -	1	0.063	0.063
19	भगवतीबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	244/155/4	0.064	0.064
	योग -	1	0.064	0.064
20	कनीराम पिता तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	250/151	0.063	0.063
	योग -	1	0.063	0.063
21	नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	251/151	0.291	0.291
	योग -	1	0.291	0.291
22	श्रीमति श्यामकुंवर पति नरेन्द्रसिंह हि. 67 पै. जाति गुर्जर, शिव पवित्रा पिता धीसालाल पार्वतीबाई बेवा धिसा लाल जयराम बंशी पिता मांग्या समन्तरबाई संतोष बाई पुत्री किशन गीताबाई बेवा किशन जगदीश विनोद ममता फुल्लीकल्ली पिता जगदीश हि. 33 पै. जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी	252/151	0.784	0.784
	योग -	1	0.784	0.784
23	अमृतलाल पिता चैनसिंह हि. 1/2, गंगाबाई बेवा चैनसिंह हि. 1/2 जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी	238/34/3	0.019	0.019
	योग -	1	0.019	0.019
24	विजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	228/1/1/3	0.698	0.698
	योग -	1	0.698	0.698
25	सोमपाल ऊर्फ सोमा पिता रत्या जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी	238/34/2	0.019	0.019
	योग -	1	0.019	0.019
	महायोग -		11.030	8.608

(2) मकान / परिसम्पत्ति :-		मकान का प्रकार	रक्का (वर्ग मीटर)	रिमार्क
स.क्र.	नाम		4	5
1	2	3		
1	सत्यनारायण पिता गोविन्दसिंह	नीव (दीवार सहित)	76.68	छत नहीं है।
2	समन्दरसिंह पिता जालमसिंह	टीनशेड	40.30	
3	रतनसिंह, कालूराम, घनश्याम पिता प्रतापसिंह	टीनशेड	86.11	
4	सरजनसिंह पिता मांगीलाल	पक्की दिवार	10.45	छत नहीं है।
		पत्थर की दिवार	44.64	छत नहीं है।
		चबूतरा	8.00	
		बावड़ी पत्थर पिचिंग	-	
5	समन्दरसिंह पिता चैनसिंह	पक्की दिवार	64.66	छत नहीं है।
6	देवीसिंह, गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह	पक्की दिवार	23.10	छत नहीं है।
7	गजराजसिंह पिता फतेहसिंह	पक्की दिवार	72.50	छत नहीं है।
8	जालगसिंह पिता मुंशीलाल (आश्रम)	पक्का कमरा	30.80	
		कच्चा कबेलू	15.20	
		पक्का शोचालय	2.25	
		आर.सी.सी. र्स्लेब 1	27.36	
		आर.सी.सी. र्स्लेब 2	14.70	
		पक्का कमरा	18.86	
		मार्बल फ्लोर	232.03	
9	दशरथसिंह पिता अमरसिंह	टीनशेड	26.07	दिवारें नहीं हैं।
10	ज्ञानसिंह पिता अमरसिंह	टीनशेड	34.32	दिवारें नहीं हैं।
11	सौरमसिंह पिता मांगीलाल	पक्की दिवार	3.15	छत नहीं है।
12	कैलाश पिता अमरसिंह	टीनशेड	10.58	दिवारें नहीं हैं।
13	जंगबहादुर पिता विक्रमसिंह	टीनशेड	42.00	
14	धूरसिंह पिता गोरीलाल	एल.डी.पी.ई कच्ची दिवारें	24.50	छत पन्नी की है
15	भूली बाई पति हरिसिंह	कच्चा कबेलू	21.28	
16	रामनारायण पिता कन्चनसिंह	पक्का जीना	3.60	
17	धूरसिंह, बनेसिंह, बाबूलाल, दीलीप पिता गोरीलाल	पक्का चबूतरा	9.00	
18	जगबहादुर, भोलाराम, बलवीर पिता विक्रमसिंह, राहुल, बबलू, दीपसिंह	पक्का चबूतरा	25.00	
		पक्का चबूतरा	9.00	
		पक्का चबूतरा	9.00	
19	प्रीतमसिंह पिता चन्द्रसिंह	पक्का चबूतरा	12.00	
20	गणपतसिंह पिता दयाराम	पक्का चबूतरा	7.50	
21	हरिप्रिसाद पिता दयाराम	पक्का चबूतरा	7.50	
22	हेमसिंह पिता अमरसिंह	पक्का चबूतरा	2.25	

23	मेहबानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	पक्का चबूतरा	6.25	
24	पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	पक्का चबूतरा	6.25	
25	दीपसिंह पिता मोहरसिंह	कच्चा चबूतरा	24.00	
26	भूरसिंह पिता जयकिशन	पक्का चबूतरा	2.25	
27	जगदीश पिता गणपत	पक्का चबूतरा	7.04	
28	कन्यनसिंह पिता इन्द्रसिंह	पक्का चबूतरा	2.25	
29	भगवतसिंह पिता बापूलाल	पक्का चबूतरा	4.00	
30	दोलतसिंह पिता सोरामसिंह	पक्का चबूतरा	16.50	
31	गीताबाई पति पर्वतसिंह	पक्का चबूतरा	4.41	
32	सन्तोष पिता फतेसिंह	पक्का चबूतरा	4.41	
33	रतनसिंह, कालूराम, घनश्याम पिता प्रतापसिंह	पक्का चबूतरा	9.00	
34	श्रीकिशन पिता गेन्दाजी	पक्का चबूतरा	8.41	
35	दीपसिंह पिता सजनसिंह	पक्का चबूतरा	5.76	
36	शिवराज पिता सजनसिंह	पक्का चबूतरा	15.15	
37	रामसिंह पिता जयसिंह	पक्का चबूतरा	6.40	
38	राजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल	पक्का चबूतरा	9.00	
39	सुरेश, भगवानसिंह पिता महेन्द्रसिंह	पक्का चबूतरा	6.25	
40	लाखनसिंह पिता बकशीलाल	ईट का चबूतरा	4.70	
41	इन्द्रसिंह पिता बापूलाल	पक्का चबूतरा	10.88	
42	रामबाबू पिता चैनसिंह	पत्थर की दिवार	8.84	
		पत्थर की दिवार	19.38	
43	भोलाराम पिता मानसिंह	ईट की दीवार	2.40	
		ईट की दीवार	2.13	
44	विश्राम पिता कनीराम, राहुल पिता जगबहादुर	टीनशेड	74.00	
45	नैनसिंह पिता पन्नालाल	टीनशेड	40.59	
46	प्यारीबाई पति मांगीलाल	पत्थर की दिवार	4.50	
		पत्थर की दिवार	10.80	
		पत्थर की दिवार	9.60	
		पक्का चबूतरा	67.24	
47	गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह	टीनशेड	42.00	
		टीनशेड	16.00	
		टीनशेड	55.50	
48	देवीसिंह पिता चैनसिंह	ईट की दीवार	1.98	
		ईट की दीवार	1.80	
		ईट की दीवार	1.95	

		ईट की दीवार	1.95	
		कच्चा कबेलू	37.80	
	योग :-		1569.76	

(3) शोचालय :-

स.कं.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (वर्ग मीटर)
1	2	3	4	5
1	सन्तोष पिता बनेसिंह	1.20	1.50	1.80
2	हेमराज पिता कालूराम	1.20	1.50	1.80
3	प्रकाशसिंह पिता हरिसिंह	1.20	1.20	1.44
4	अनूपसिंह पिता नारायणसिंह	1.20	1.50	1.80
5	प्यारीबाई पति मांगीलाल	3.50	1.60	5.60
6	दयालसिंह पिता अमरसिंह	1.20	1.50	1.80
7	चन्द्ररसिंह पिता हरिनारायण	2.50	1.50	3.75
8	राजेन्द्रसिंह पिता जगमोहनसिंह	1.20	2.30	2.76
9	सोरमबाई पति जसमतसिंह	1.20	1.50	1.80
10	विजयसिंह पिता कालूराम	1.50	1.50	2.25
11	हेमराज पिता बिहारीलाल	1.30	1.30	1.69
12	हेमसिंह पिता अमरसिंह	1.30	1.30	1.69
13	कैलाशबाई पति सोनाथसिंह	1.50	1.50	2.25
14	विजयसिंह पिता कालूराम	1.50	2.80	4.20
15	रामदयाल पिता अमरसिंह	1.70	2.00	3.40
16	रामचरण पिता परथीसिंह	1.50	1.50	2.25
17	अजबसिंह पिता जयकिशन	1.50	1.50	2.25
18	कमलेशसिंह पिता हाकमसिंह	1.50	1.50	2.25
19	कन्चनसिंह पिता इन्द्ररसिंह	2.40	3.10	7.44
20	भगवतसिंह पिता बापूलाल	1.20	1.20	1.44
21	पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	1.30	1.50	1.95
22	नारायणसिंह पिता अमरसिंह	1.20	1.50	1.80
23	जमनाप्रसाद पिता निर्भयसिंह	1.30	1.00	1.30
24	रोडजी पिता रामरतन, दुर्गप्रसाद, भगवानसिंह, सुरेश, सन्दिप पिता रोडजी	1.50	3.45	5.18
25	गोविन्दसिंह पिता मदनसिंह	1.40	1.30	1.82
26	जितेन्द्र पिता गुलाबसिंह	1.30	1.30	1.69
27	गुडडीबाई पति रामनारायण	1.10	1.30	1.43
28	बद्रीलाल पिता बापूलाल	1.30	1.20	1.56
29	गीताबाई पति रामकिशन	1.20	1.30	1.56

30	रामप्रसाद पिता रामलाल	1.20	1.30	1.56
31	गीताबाई पति दिनेश	1.20	1.30	1.56
32	हरिओम पिता पुरुषोत्तम	1.20	1.65	1.98
33	तुलसीराम पिता आसाराम, दिनेश, लखन पिता तुलसीराम	1.00	1.20	1.20
34	हैमराज पिता रामलाल	1.10	1.20	1.32
35	प्रेमसिंह पिता रामलाल	1.20	1.20	1.44
36	राजाराम पिता पन्नालाल	1.10	1.00	1.10
37	जबरसिंह पिता सोरामसिंह	1.35	2.10	2.84
38	जबरसिंह पिता सोरामसिंह	2.10	2.20	4.62
39	चन्द्रसिंह पिता मांगीलाल	2.40	3.60	8.64
40	नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल	1.20	1.30	1.56
41	दीपसिंह पिता मोरसिंह	1.20	1.50	1.80
मालीपुरा				
42	रामनारायणसिंह पिता कंचनसिंह	2.30	1.90	4.37
43	दर्शनसिंह पिता गंगाराम	2.30	2.10	4.83
44	भूरसिंह पिता चन्द्रसिंह	2.10	2.30	4.83
45	सोनू पिता भंवरलाल	1.60	2.60	4.16
46	भिसीलाल पिता अमरचन्द, कृष्णबाई पति भिसीलाल	1.50	1.50	2.25
47	घीसालाल पिता मांगीलाल	1.50	1.50	2.25
48	लीलाकिशन पिता बापूलाल	1.20	1.50	1.80
49	रानीबाई पति रामलाल	1.30	1.30	1.69
50	जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह	2.00	2.00	4.00
51	रमेशसिंह पिता जालमसिंह	1.50	2.00	3.00
52	जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह	3.00	3.00	9.00
53	गंगाबाई पति चैनसिंह	1.30	1.30	1.69
54	विजयसिंह पिता नारायणसिंह	3.10	2.50	7.75
योग :-				153.180

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०२/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०२/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम फतेहपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नाम्बार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम फतेहपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

परिसम्पत्ति :-		परिसम्पत्ति का प्रकार	रकबा (वर्ग मीटर)	रिमार्क
स.कं.	नाम	3	4	5
1	2	3		
1	सूरजसिंह पिता घासीराम	शोचालय	2.25	
2	दामोदर पिता मांगीलाल	टीन शेड	101.60	
3	घासीराम हेरिसिंह हनुमतसिंह पिता तुलाराम	छतरी	7.28	
4	घासीराम पिता तुलाराम	चबूतरा	1.80	
5	मोतीलाल पिता जगन्नाथ	चबूतरा	12.54	
6	इन्द्रसिंह जगदीश पिता जालमसिंह	चबूतरा	11.20	
	योग :-		4.84	
			141.51	

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश,

राजगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2023

—: अनुसूची :—

क्रमांक ७८३७ /भू-अर्जन /2022 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलांग अनुसूची-1 के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक०३..... / अ-८२/२०२१-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया जिला-राजगढ़ के ग्राम-टोडी के छूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्व क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्थवरथापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानों की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के छूब क्षेत्र प्रभावित मकान :— ग्राम-टोडी

स.क्र.	ग्राम का नाम	अर्जनीय मकानों का रकबा		सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
		कुल कृषक	रकबा (वर्ग मीटर में)	
1	2	3	4	5
1	टोडी	234	34101.06	सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
	योग :-	234	34101.06	

—: अनुसूची (2) :—

तहसील :— सुठालिया

जिला :— राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के छूब क्षेत्र प्रभावित मकान :— ग्राम-टोडी

स.क्र.	आबादी के सर्व नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	939	गोपाल सिंह पिता मदनलाल जाति केवट	1	224.08
2	939	करणसिंह पिता मायाराम जाति लोधी	2	104.92
3	939	खुशीलाल पिता बिहारीलाल जाति गुर्जर	3	252.07
4	939	कंचनसिंह पिता हरिकिशन जाति गुर्जर	4	211.87
5	939	चंद्रसिंह पिता हरकिशन जाति गुर्जर	5	200.85
6	939	बनेसिंह पिता करनसिंह जाति लोधी	6	155.18
7	938	इयामसुन्दर पिता भागीरथ जाति चौरासिया	9	312.53
8	938	मिश्रीलाल पिता बद्रीलाल जाति चौरासिया	10	278.32
9	937	कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति धनगर	11	72.10
10	937	पवन पिता प्रेम जाति लोधी	12	47.73
11	937	प्रेमसिंह पिता खुमान जाति लोधी	13	75.36
12	937	विनोद पिता देवीलाल जाति केवट	14	110.89
13	937	देवलाल पिता कनीराम जाति केवट	15	84.82
14	937	रघुवीर पिता देवलाल जाति केवट	16	66.76
15	937	मलतु पिता नाथूलाल जाति केवट	17	180.28

संक्र.	आवादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
16	937	मंगु पिता नाथूलाल जाति केवट	18	185.10
17	937	पुनमचन्द पिता मांगीलाल जाति विश्वकर्मा	19	189.56
18	937	कमलेश पिता अमरलाल जाति केवट	20	113.76
19	937	गोपाल पिता अमरलाल जाति केवट	21	85.32
20	937	रमेश पिता पन्नालाल जाति केवट	22	104.54
21	937	विष्णुबाई पति रामबाबू जाति केवट	23	105.80
22	937	ग्यारसीराम पिता हीरालाल जाति केवट	24	129.06
23	937	कैलाशचन्द पिता हीरालाल जाति केवट	25	62.37
24	937	मुल्लोबाई पति रामचरण जाति केवट	26	159.47
25	937	संपतबाई पति गुलाबसिंह जाति वर्मा	27	167.25
26	937	रमेश पिता कहैयालाल जाति अहिरवार	28	126.14
27	937	बनेसिंह पिता कहैयालाल जाति अहिरवार	29	126.14
28	937	रामबाबू पिता जमनालाल जाति लोधी	30	127.86
29	937	राजेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत	31	116.76
30	937	धनराज पिता देवबक्स जाति गुर्जर	32	58.46
31	937	हीरालाल पिता बन्धीलाल जाति लोधी	33	65.12
32	937	मेहरबानसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर	34	70.00
33	937	रामप्रसाद पिता ननूलाल जाति अहिरवार	35	34.44
34	937	मुकेश पिता मांगीलाल जाति केवट	36	68.85
35	937	गोलू पिता मांगीलाल जाति केवट	37	94.35
36	937	लाखनसिंह पिता मांगीलाल जाति केवट	38	101.85
37	937	राजू पिता मांगीलाल जाति केवट	39	91.68
38	937	दुलीचन्द पिता हरिनारायण जाति नामदेव	40	50.32
39	937	लक्ष्मीनारायण पिता मथरालाल जाति नामदेव	41	50.32
40	937	रामबाबू पिता भवरलाल जाति नामदेव	42	50.32
41	937	हरिनारायण पिता गोपीलाल जाति नामदेव	43	36.27
42	937	मुलचन्द पिता देवीलाल जाति वर्मा	44	121.15
43	937	रमेश पिता जगन्नाथ जाति वर्मा	45	183.85
44	937	अनारबाई पति भागमल जाति धनगर	46	83.29
45	937	राजूबाई पति भगवानसिंह जाति धनगर	47	85.80
46	937	मुकेश पिता हीरालाल जाति वर्मा	48	167.38
47	937	हीरा पिता गनपत जाति वर्मा	49	66.30
48	937	रामचरण पिता कालूराम जाति अहिरवार	50	173.08
49	937	श्यामसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत	51	108.80
50	937	जगन्नाथ पिता मदनलाल जाति अहिरवार	52	59.04
51	937	भरौसा पिता मदनलाल जाति वर्मा	53	72.72
52	937	अनीताबाई पति चन्द्रलाल जाति वर्मा	54	31.62
53	937	केदारबाई पति कैलाश जाति वर्मा	55	50.85
54	937	जितेन्द्र पिता कैलाश जाति वर्मा	56	70.82

स.क	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
55	931	गुलजाबाई पति कैलाश जाति हरिजन	57	110.55
56	931	रामप्रसाद पिता गोपीलाल जाति वर्मा	58	11.22
57	931	ओमप्रकाश पिता ग्यारसीराम जाति वर्मा	59	138.25
58	931	धर्मेन्द्र पिता प्रीतम जाति वर्मा	60	22.77
59	931	अयोध्याबाई पति प्रीतम जाति वर्मा	61	58.65
60	931	कान्तीबाई पति ओमप्रकाश जाति हरिजन	62	58.52
61	931	रामबाबू पिता मुलचन्द जाति अहिरवार	63	55.84
62	937	महेश पिता मुलचन्द जाति अहिरवार	64	39.16
63	937	प्रेमसिंह पिता मुलचन्द जाति वर्मा	65	39.16
64	937	विनोद पिता मुलचन्द जाति वर्मा	66	83.67
65	937	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति हरिजन	67	70.18
66	937	किशनलाल पिता गोपीलाल जाति हरिजन	68	198.98
67	937	राकेश पिता गंगाधर जाति साहू	69	219.45
68	931	गोविन्द पिता चत्तरसिंह जाति राजपूत	70	24.75
69	931	ऊषा खिंची पति बहादुर खिंची जाति राजपूत	71	49.72
70	931	हरिसिंह पिता जगनारायण जाति राजपूत	72	499.24
71	931	शकूर ख्यॉन पिता रेहमानशाह जाति मुस्लिम	73	30.36
72	931	पुरुषोत्तम पिता रामलाल जाति केवट	74	451.63
73	931	महेन्द्रसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत	75	17.94
74	931	मोतीसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	76	17.94
75	931	इमरत पिता कालूलाल जाति मौंची	77	95.21
76	937	रामकलीबाई पति स्व.रामभरोसे जाति हरिजन	78	161.35
77	937	रोडजी पिता खुशीलाल जाति हरिजन	79	244.22
78	937	भारत पिता हीरा जाति वर्मा	80	132.56
79	937	अशोक पिता हीरालाल जाति वर्मा	81	35.75
80	937	काशीराम पिता नाथूलाल जाति हरिजन	82	45.25
81	937	लक्ष्मीनारायण पिता काशीराम जाति हरिजन	83	36.09
82	937	भजनसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति वर्मा	84	64.92
83	937	राहुल पिता लक्ष्मीनारायण जाति अहिरवार	85	32.48
84	937	संजू पिता मानसिंह जाति लोधी	86	52.21
85	937	रोहित पिता दिलीप जाति देशमुख	87	111.17
86	937	मंगला पति स्व. दिलीप जाति देशमुख	88	43.75
87	937	मनीषा पति दिलीप जाति देशमुख	89	25.56
88	937	देवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत	90	144.98
89	937	हनुमंतसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत	91	17.10
90	937	मूलसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत	92	17.10
91	937	टीकमसिंह पिता मोतीलाल जाति गुर्जर	93	16.90
92	937	दयाराम पिता भंवरलाल जाति केवट	94	132.92
93	937	निर्भयसिंह पिता मथरालाल जाति केवट	95	203.94

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
94	937	देवीसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	96	142.30
95	937	मांगीलाल पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	97	202.56
96	937	बलवीरसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत	98	165.15
97	937	प्रेमसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत	99	218.06
98	937	दयारामसिंह पिता दशरथसिंह जाति राजपूत	100	38.18
99	937	मुलसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	101	508.28
100	937	भंवरसिंह पिता गजराजसिंह जाति चौहान	102	92.08
101	937	हेमसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत	103	114.54
102	931	रामसिंह पिता जगनारायणसिंह जाति राजपूत	104	505.60
103	931	संतोषसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत	105	42.56
104	931	जयपालसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत	106	196.81
105	931	जितेन्द्रसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत	107	54.32
106	931	देवराजसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	110	270.43
107	931	भुपेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	111	222.92
108	931	नरेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	112	157.84
109	931	विकमसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत	113	78.64
110	931	कृष्णपालसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	114	67.20
111	787/1	गजराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत	115	115.34
112	787/1	सुरेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत	116	66.33
113	787/1	चन्दनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत	117	156.61
114	785	रघुवीरसिंह पिता करनसिंह जाति राजपूत	118	60.80
115	785	कमलेश पिता रोड जी जाति केवट	119	106.16
116	785	केदारवाई पति रोड जी जाति केवट	120	105.90
117	780	पूनमचन्द पिता मदनलाल जाति वर्मा	121	39.13
118	780	हरिसाम पिता दोलजी जाति वर्मा	122	91.21
119	780	बबलु पिता हीरालाल जाति अहिरवार	123	81.16
120	746	राधेश्याम पिता हरिसाम जाति वर्मा	124	60.28
121	746	कन्हैयालाल पिता देवचन्द जाति वर्मा	125	108.29
122	746	शांतिवाई पति स्व. बद्रीलाल जाति वर्मा	126	110.18
123	746	मांगीलाल पिता प्रभूलाल जाति वर्मा	127	70.86
124	746	प्रभूलाल पिता प्यारजी जाति वर्मा	128	154.72
125	746	कंवरलाल पिता प्रभूलाल जाति वर्मा	129	60.68
126	746	कालूराम पिता दयाराम जाति हरिजन	130	195.90
127	746	राकेश पिता कालूराम जाति हरिजन	131	78.40
128	747	गुलाब बाई पति सरवन जाति हरिजन	132	141.83
129	747	भारतसिंह पिता परसराम जाति हरिजन	133	61.95
130	747	रतनलाल पिता गोपीलाल जाति हरिजन	134	29.64
131	747	रामचरण पिता प्रभूलाल जाति हरिजन	135	63.68
132	739	बद्रीलाल पिता सेवाराम जाति केवट	136	127.13

संक्र.	आवादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
133	739	तुलसीराम पिता सेवाराम जाति केवट	137	190.05
134	739	सेवाराम पिता अमरसिंह जाति केवट	138	37.38
135	739	दिलीप पिता सेवाराम जाति केवट	139	52.27
136	730	फूलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति केवट	141	274.25
137	741	चैनसिंह पिता कन्हैयालाल जाति केवट	142	102.56
138	737/1	हीरालाल पिता ग्यारसीराम जाति केवट	143	35.10
139	825	बलवीरसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत	144	262.97
140	741	गोपाल पिता प्रकाश जाति केवट	145	89.01
141	738	जमनालाल पिता देवालाल जाति मेहर	146	90.54
142	738	पप्पू पिता देवालाल जाति केवट	147	38.43
143	738	घीसालाल पिता मिश्रीलाल जाति भोई	148	156.98
144	738	रंगलाल पिता भंवरलाल जाति बलाई	149	72.60
145	730	धून्दा पिता गोरीलाल जाति केवट	150	155.81
146	730	लालयंद पिता धुलजी जाति केवट	151	46.32
147	730	हजारीलाल पिता देवालाल जाति केवट	152	97.50
148	730	हरिसिंह पिता गंगाधर जाति केवट	153	229.45
149	730	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति प्रजापति	154	207.36
150	730	मोतीलाल पिता कन्हैयालाल जाति केवट	155	75.68
151	937	रूपसिंह पिता गंगाराम जाति केवट	156	73.71
152	937	रामकिशन पिता मोतीलाल जाति केवट	157	157.69
153	937	महेश पिता रामचरण जाति धोधी	158	124.10
154	937	मदनलाल पिता कवरलाल जाति धोधी	159	93.16
155	937	गणेश जी का चबूतरा (मंदिर)	160	30.50
156	681/1/1	राजेन्द्रसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह जाति राजपूत	161	219.30
157	681/1/1	विरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत	162	591.68
158	681/1/1	नरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत	163	403.00
159	681/1/1	जगमोहनसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह जाति राजपूत	164	254.92
160	681/1/1	देवेन्द्रसिंह पिता जगमोहनसिंह जाति राजपूत	165	349.09
161	681/1/1	महेन्द्रपालसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह जाति राजपूत	166	197.17
162	681/1/1	ओमपालसिंह पिता महेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत	167	407.42
163	681/1/1	विजयपाल चौहान पिता महेन्द्रपाल चौहान जाति राजपूत	168	327.05
164	681/1/1	रुपेन्द्रसिंह पिता विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत	169	641.53
165	653/3	हेमराज पिता हरिकिशन जाति लोधी	170	125.09
166	653/3	पहलवानसिंह पिता हरिकिशन जाति लोधी	171	124.41
167	653/3	हरिकिशन पिता छीतरलाल जाति लोधी	172	283.25
168	541/1	रामचरण पिता छीतरलाल जाति लोधी	173	181.98
169	541/1	अजवसिंह पिता रामचरण जाति लोधी	174	161.08
170	541/1	घनश्याम पिता रामचरण जाति लोधी	175	182.31

संक्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
171	541/2/2	राधेश्याम पिता रामबगस जाति लोधी	176	139.05
172	541/2/2	लालाराम पिता राधेश्याम जाति लोधी	177	139.05
173	541/2/1	रामबगस पिता छीतरलाल जाति लोधी	178	63.64
174	541/2/2	द्वारका पिता राधेश्याम जाति लोधी	179	40.32
175	541/2/1	समन्दरसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी	180	147.84
176	541/2/1	राकेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी	181	153.53
177	540/1	प्रभूलाल पिता खुमान जाति लोधी	182	217.93
178	540/1	भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति लोधी	183	228.97
179	540/2	नानजीराम पिता सेवाराम जाति लोधी	184	167.77
180	540/2	कमलसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर	185	272.25
181	540/3	राधेश्याम पिता छोटेलाल जाति लोधी	186	257.02
182	540/3	धन्नलाल पिता छोटेलाल जाति लोधी	187	140.13
183	540/3	हरिसिंह पिता छोटेलाल जाति लोधी	188	149.06
184	540/3	छोटेलाल पिता सेवाराम जाति लोधी	189	227.27
185	467/1	जयसिंह पिता देवीलाल जाति लोधी	190	513.72
186	468/2	राजेन्द्र पिता शिवचरण जाति लोधी	191	606.03
187	467/2	रघुवीरसिंह पिता देवीलाल जाति लोधी	192	107.31
188	467/3	शिवचरण पिता देवीलाल जाति लोधी	193	104.88
189	241	कन्हैयालाल पिता खेमचन्द जाति लोधी	194	39.27
190	241	मन्मोहन पिता कन्हैयालाल जाति लोधी	195	90.04
191	241	राधेश्याम पिता कन्हैयालाल जाति लोधी	196	129.11
192	241	गजराज पिता कन्हैयालाल जाति लोधी	197	128.15
193	241	मगूसिंह पिता चान्दसिंह जाति राजपूत	198	70.50
194	241	कृष्णपालसिंह पिता मंगूसिंह जाति राजपूत	199	69.56
195	241	सौभाग्यसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत	200	129.01
196	241	प्रेमसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत	201	107.39
197	241	पर्वतसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत	202	101.10
198	241	गुलाबसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत	203	53.82
199	231	जगदीश पिता अमरलाल जाति लोधी	204	99.69
200	231	अमरलाल पिता नाथूलाल जाति लोधी	205	58.12
201	231	मोहनसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी	206	34.32
202	231	पदमसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी	207	248.18
203	231	राधेश्याम पिता रामसिंह जाति लोधी	208	272.96
204	231	भारतसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी	209	204.88
205	231	धापुबाई पति रामसिंह जाति लोधी	210	251.60
206	231	बाबूलाल पिता करनसिंह जाति लोधी	211	236.94
207	226	अर्जुन सिंह पिता करणसिंह जाति लोधी	212	66.58
208	226	धापुबाई पत्नि करण सिंह जाति लोधी	213	84.68
209	226	मोहनसिंह पिता करण सिंह जाति लोधी	214	188.92

संख्या	आवादी के सर्व नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
210	424/2	बद्रीलाल पिता रामसिंह जाति लोधी	215	284.37
211	224	रामहेतु पिता बद्रीलाल जाति लोधी	216	261.21
212	224	बद्रीलाल पिता करनसिंह जाति लोधी	217	365.39
213	224	सुन्दरलाल पिता खुशीलाल जाति लोधी	218	116.98
214	224	कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी	219	141.63
215	660	दिलीप पिता जमनालाल जाति लोधी	220	341.66
216	663/2	हेमराज पिता नाथुलाल जाति लोधी	221	127.38
217	663/4	मुकेश पिता शिवराज जाति लोधी	222	257.44
218	663/1	नारायण सिंह पिता नाथुलाल जाति लोधी	223	173.10
219	252/2	सागर सिंह पिता बालमुकंद जाति लोधी	224	166.93
220	253/3	विजय सिंह पिता करण सिंह जाति लोधी	225	218.16
221	290/3	बनेसिंह पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी	226	182.98
222	290/2	जगदीश पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी	227	148.40
223	290/1	रामबाबू पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी	228	70.08
224	49/4/6	निरपत सिंह पिता रंजीत सिंह जाति लोधी	229	213.08
225	102/4	बनेसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी	230	281.80
226	106/1	पानबाई पति करन सिंह जाति लोधी	231	108.55
227	106/1	सूरजसिंह पिता करनसिंह जाति लोधी	232	96.98
228	49/4/3	गोपालसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी	233	263.65
229	49/4/3	कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी	234	181.31
230	59/3	मेवाबाई पति शम्भूसिंह जाति लोधी	235	596.09
231	59/2	अमरी बाई पति अमरत लाल जाति लोधी	236	150.53
232	59/1	रघुवीर सिंह पिता बद्रीलाल जाति लोधी	237	429.51
233	56/1/2	चिरोंजीलाल पिता पन्नालाल जाति लोधी	238	79.30
234	9/3	बाबुलाल पिता मानसिंह जाति लोधी	239	162.63
योग :-				34101.06
				या. (हे. मे.) 3.410

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

—: अनुसूची :—

क्रमांक ५३३/भू-अर्जन /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलांग अनुसूची-1 के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ०५ / अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-१ में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया जिला-राजगढ़ के ग्राम-निवारा के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमावार विवरण अनुसूची-२ में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-२०१३ (क्रं. ३० सन २०१३) की धारा-११ के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-२ के मकानों की अनुसूची-१ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (१) :—

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :— ग्राम-निवारा

स.क्र.	ग्राम का नाम	अर्जनीय मकानों का रकबा		सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
		कुल कृषक	रकबा (वर्ग मीटर में)	
1	2	3	4	5
1	निवारा	४१	८५८१.२९	सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
योग :-		४१	८५८१.२९	

—: अनुसूची (२) :—

तहसील :— सुठालिया

जिला :— राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :— ग्राम-निवारा

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	461/2	माधोसिंह पिता भागचन्द जाति लोधी	1	२१२.८५
2	461/3	गोपालसिंह पिता भागचन्द जाति लोधी	2	३५६.५८
3	461/1	नीरजसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(A)	८१.६०
4	461/1	धनराजसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(B)	१४३.४२
5	461/1	जशमनसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(C)	१४७.९६
6	461/1	पदमसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(D)	२६५.४९
7	462	कंवरलाल पिता चतरुलाल जाति लोधी	4	६६०.०२
8	462	हरिप्रसाद पिता चतरुलाल जाति लोधी	5	४०९.०६
9	१८४/१, २७४/१/१/१	कंवरलाल पिता ईशरलाल जाति लोधी	6(A)	६६८.८३
10	१८३/२, २७४/१/१/१	बनेसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधी	6(B)	५०४.०१
11	१८३/३, २७४/१/१/१	पदमसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधी	6(C)	२८७.०८
12	463	दरियावसिंह पिता हीरलाल जाति लोधी	7	३२१.००
13	464/२	रामबाबू पिता नोरंगीलाल जाति लोधी	8(A)	४०.५६
14	464/२	पूनमसिंह पिता नोरंगीलाल जाति लोधी	8(B)	४०.५६

स.क्र.	आबादी के सर्व नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
15	267	रामस्वरूप पिता गिरधारीलाल जाति लोधी	9	322.96
16	267	नरभेसिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी	10	88.82
17	458	अमरलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोधी	11(A)	98.51
18	458	रामभरोसा पिता मिश्रीलाल जाति लोधी	11(B)	30.80
19	272	निहालसिंह पिता रामकिशन जाति लोधी	12	110.60
20	272	नोरंगीलाल पिता रामकिशन जाति लोधी	13	160.27
21	272	जगदीश पिता रामकिशन जाति लोधी	14	212.35
22	274/1/1/1	बनराजसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी	15	165.82
23	274/1/1/1	बापूलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोधी	16	163.94
24	274/1/1/1	शिवराज पिता मिश्रीलाल जाति लोधी	17	151.24
25	274/1/1/1	दशरथसिंह पिता काशीराम जाति लोधी	18	93.58
26	274/1/1/1	गुलाबसिंह पिता प्रेमसिंह जाति हरिजन	19	161.90
27	274/1/1/1	प्रतापसिंह पिता जगन्नाथ जाति केवट	20	72.43
28	274/1/1/1	जगन्नाथ पिता श्यामलाल जाति केवट	21	102.38
29	274/1/1/1	पूनमचन्द पिता पन्नालाल जाति मेहर	22	73.80
30	274/1/1/1	देवीसिंह पिता श्यामलाल जाति केवट	23	365.10
31	274/1/1/1	छीतर पिता गेंदा जाति लोधी	24	177.57
32	274/1/1/1	रवि पिता मूलचन्द जाति लोधी	25	64.72
33	114/2/1	प्रेमसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी	26(A)	65.84
34	114/2/1	फूलसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी	26(B)	71.93
35	114/2/1	लक्ष्मणसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी	27	25.80
36	274/1	हरिभगत पिता काशीराम जाति लोधी	28	21.45
37	267	अमरसिंह पिता धूरीलाल जाति लोधी	29	116.95
38	445/2	रघुवीरसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी	30	60.84
39	199	राधेश्याम पिता रामदयाल जाति लोधी	31	65.25
40	189	रेकमसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी	32	1280.38
41	266	पुरुषोत्तम पिता कल्याणसिंह जाति	33	117.04
योग :-				8581.29
				या.(हे.गे) 0.858

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

—: अनुसूची :—

क्रमांक ७५४१ / भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलग्न अनुसूची-1 के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ०४ / अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया जिला-राजगढ़ के ग्राम-गुजरखेड़ीकलां के ढूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-२०१३ (क्र. ३० सन २०१३) की धारा-११ के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानों की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र प्रभावित मकान :— ग्राम-गुजरखेड़ीकलां

स.क्र.	ग्राम का नाम	अर्जनीय मकानों का रकबा		सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
		कुल कृषक	रकबा (वर्ग मीटर में)	
1	2	3	4	5
1	गुजरखेड़ीकलां	34	9014.49	सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
	योग :-	34	9014.49	

—: अनुसूची (2) :—

तहसील :— सुठालिया

जिला :— राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र प्रभावित मकान :— ग्राम-गुजरखेड़ीकलां

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	135/1	शिवचरण पिता अमृतलाल जाति गुर्जर	1	598.73
2	134/1	अर्जुनसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर	2	487.68
3	134/1	फूलसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर	3	426.61
4	134/1	भागचन्द पिता देवाजी जाति गुर्जर	4	220.83
5	135/1	धनराज पिता अमृतलाल जाति गुर्जर	5	862.52
6	135/1	लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	6	534.61
7	135/1	श्याम पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	7	225.12
8	100	हिमतसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	8	233.03
9	100	लाखनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	9	195.38
10	144, 141/2	राधेश्याम पिता बलराम जाति गुर्जर	10(A)	235.49
11	144, 141/2	सत्यनारायण पिता बलराम जाति गुर्जर	10(B)	235.49
12	134/1	रामेश्वर पिता बलराम जाति गुर्जर	11	477.19

संक्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
13	142/2	देवसिंह पिता नन्दराम जाति गुर्जर	12	79.04
14	142/2	नारायणसिंह पिता नन्दराम जाति गुर्जर	13	86.58
15	134/1	नन्दराम पिता आशाराम जाति गुर्जर	14	162.68
16	134/1	सोदानसिंह पिता आशाराम जाति गुर्जर	15	348.38
17	165/7	लक्ष्मीनारायण पिता आशाराम जाति गुर्जर	16(A)	117.73
18	165/7	शिवराज पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर	16(B)	64.41
19	165/7	घनश्याम पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर	16(C)	64.38
20	170	हिम्मतसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	17	335.97
21	170	लाखनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	18	123.67
22	142/2	चन्द्रकलाबाई पति रामसिंह जाति गुर्जर	19	114.68
23	144	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	20	360.47
24	144	जगन्नाथ पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	21	232.23
25	142/2	दयालसिंह पिता गंगाधर जाति गुर्जर	22	317.15
26	142/2	रामरतन पिता गंगाधर जाति गुर्जर	23	11.73
27	135/1	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति भील	24	172.53
28	100	नारायणसिंह पिता भवरलाल जाति गुर्जर	25	400.60
29	100	भारतसिंह पिता भवरलाल जाति गुर्जर	26	450.66
30	165/1	विष्णु पिता गजराजसिंह जाति गुर्जर	27	96.96
31	135/1	ओमप्रकाश पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	28	52.08
32	135/1	गिरराज पिता ओमप्रकाश जाति गुर्जर	29	194.74
33	135/1	हरिशंकर पिता ओमप्रकाश जाति गुर्जर	30	217.23
34	79	गजराजसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	31	277.91
योग :-				9014.49
				या.(हे.मे.) 0.901

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-30-अ-82-22-23-भू-अर्जन-23-5531

सागर, दिनांक 11 जुलाई 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : बीना कटनी तीसरी लाईन (263 कि.मी.) निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	रगोली
4.	पट. ह. न.-	:	104
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.720

सं. क्र.	कृषकों का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का रकवा				भूमि पर स्थित स्थवर परिसंपत्तियां
					संचित	असंचित	पड़ती	व्यावरित	
1	राजेश, निकिता पिता रामेश्वर सोम तुलसा नां.बा. पिता रामेश्वर, राजानी बेबा रामेश्वर पता सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	60	1.210	0.060	0.000	0.000	0.000	आम-1 बेबी-1 बबूल-5
2	गोविंद पिता प्रेमलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	74/2	0.810	0.250	0.000	0.000	0.000	गुरार-2 महुआ-1 एरमा-4 सागोन-2
3	मनोज कुमार बलद न-हेमाई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	109/2	0.400	0.000	0.000	0.000	0.060	गुरार-1 सोबबूल-3 हड्डआ-1
4	गुलाबबाई पति कुदू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/1	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	यूकेटिपटिस-2
5	राजाराम बलद मुन्नालाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/2	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	0
6	न-हेमाई पिता कुददा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	123/3	0.400	0.000	0.200	0.000	0.000	0
7	संतोषकुमार शीलाबाई गुडडी बाई सरस्वती बाई किरण बाई पिसरान जालम गुलाबरानी बेबा जालम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	294	0.110	0.000	0.000	0.110	0.000	0
8	शालिगराम बलद देवीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	295	0.020	0.000	0.000	0.020	0.000	0
9	लल्लूर्सीग मिदूर्सीग मुन्नालाल पिसरान अर्जुन पार्वती बाई माया बाई पुत्री अर्जुन 1/3 भाग शकुन बेबा मगन सुदामा दीलत धीरज सीग मालती बा. भरत सीग कलाबाई ना.बा. वाली शकुनबाई पिता मगन 1/3 भाग रामकेश पिता कलू 1/12 भाग सुनील मनोज पिता बाबूलाल बालमिकी 1/4 भाग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296	0.040	0.000	0.000	0.040	0.000	

10	तुलसीराम वल्ड निर्मयसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297	0.040	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0
11	हीरालाल वल्ड कालूराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/1	0.030	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0
12	मनोहर पिता निर्मयसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/2	0.030	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0
13	बड़दूलाल पिता कालूराम 167 / 300 भाग, रामअवतार अशुल ना.बा. पिता रामसींग बली चाचा शंकरलाल 133 / 300 भाग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/3	0.030	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0
14	नन्हूराम पिता कालूराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/4	0.030	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	317/2	0.490	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0
15	गीतारानी पत्नि संजीवकुमार 240 / 1000, रामप्रसाद देवेन्द्र पिता रेवाराम 240 / 1000 भाग, मंगल पिता परम् बलराम गोपाल राम किरन दमयंती बटी मालती पिता इमरत चंद्ररानी पल्ली इमरत 520 / 1000 साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	299	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	अमरुद-1
16	रिक्खा वल्ड गणेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300	0.020	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	अमरुद-1
17	सुरेन्द्र कुमार वल्ड प्रकाश चंद्र जैन साकिन सानौंधा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	362/2	0.330	0.000	0.130	0.000	0.000	0.000	0
Total				4.510	0.660	0.510	0.290	0.260		

बीना कटनी तीसरी लाईन (263 कि.मी.) परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बों का विवरण

सरल क्रमांक	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	भूमि पर निर्मित मानधारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण			धारा 11के प्रकाशन दिनांक को धारा 32 के तहत प्रभावित परिवारों	अर्जित मकान में प्रभावित व्यक्ति का स्थायी निवास है अथवा अस्थाई			
				झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आरसी. सी.	लं. × चौ. (भीटर में)	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	गीतारानी पत्नि संजीवकुमार बगौरह	300	संजीव पिता सोभाराम अहिरवार	इट की दीवार सीमेंट की शीट की छत	6.70×6.40	42.88	निरंक	स्थाई			
				पिलर बीम सीमेंट की शीट की छत	3.90×6.40	24.96					
2	गीतारानी पत्नि संजीवकुमार बगौरह	300	रामप्रसाद पिता रेवाराम सेन	1 पक्का गाटर फर्शी	7.40×8.30	61.42	निरंक	स्थाई			
				पक्की दीवार सीमेंट शीट	9.4×8.3	78.02					
3				निरंक	0	0	रामकली बेवा रेवाराम सेन	स्थाई			
4	रामअवतार अंशुल ना.बा. पिता रामसींग बली चाचा शंकरलाल बगौरह	298 / 3	सियारानी पति रामसींग रामअवतार, निकिता, अंशुल, रविता पि. रामसींग खगार	आर.सी.सी.	5.8×3.4	19.72	निरंक	स्थाई			
				इट की दीवार कबेलू	7.1×6.5	46.15					
5				इट की दीवार सीमेंट की शीट की छत	7.8×4.4	34.32	निरंक	स्थाई			
				निरंक	0	0	राजरानी रानी बेवा लक्ष्मन खंगार				
6	कपिल पिता मुन्नालाल सेन	298 / 2	कपिल पिता मुन्नालाल सेन	इट की दीवार सीमेंट की शीट की छत	3.0×3.0	9.0	निरंक	स्थाई			
				बांस बल्टी खपरैल	11.45×6.2	70.99					
7				इट की दीवाल बरसाती छत	12.7×2.20	27.94	निरंक	हीराबाई पति मुन्ना			
				पक्का गाटर फर्शी	4.9×2.55	12.495					
				निरंक	0	0.000	हीराबाई पति मुन्ना	निरंक			

	मनोहर लाल पि. निर्भय सेन	298 / 2	मनोहर लाल पिता निर्भय सेन	1 पक्का गाटर फर्सी इंट की दीवार कबेलू छाये गाटर फर्सी भू-तल आर.सी.सी. प्रथम-तल पक्की दीवार कबेलू छाये आर.सी.सी. स्लैब कच्चा कबेलू सीमेंट सीट छायी निरंक	7.7x7.3 7.2x4.1 4.1 x 6.6 4.1 x 6.6 2.4 x 4.75 7.95x7 6.55x4.2 5.2x2.8 0	56.21 29.52 27.06 27.06 11.4 55.65 27.51 14.56 0	निरंक	स्थाई
8								
9								
11	संतोष पिता जालम बगौरह	294	संतोष पिता जालम आहिरवार	1 पक्का गाटर फर्सी	7.5 x 7.15	53.625	निरंक	स्थाई
12	तुलसीराम पि. निर्भय सेन	297	तुलसीराम पिता निर्भय सेन	1 भू-तल गाटर फर्सी इंट की दीवार सीमेंट की शीट की छत पक्की दीवार कबेलू छाये प्रथम तल गाटर फर्सी पक्की दीवार कबेलू छाये आर.सी.सी. स्लैब कच्ची दीवार कबेलू	6.6x12 13.9 x 4.4 3.8x4.9 6.6 x 12 1.7x 4.2 6.3 x 3.8 3.2x9.3	79.2 61.16 18.62 79.2 7.14 23.94 29.76		स्थाई
13								
14	लल्लसींग पिता अर्जुन बगौरह	296	लल्लू पिता अर्जुन आदिवासी	1 भू-तल गाटर फर्सी प्रथम तल पक्की दीवार कबेलू छाये पक्की दीवार कबेलू	8.2 x 4.2 8.2 x 4.2 5.3 x 6.8	34.44 34.44 36.04	निरंक	स्थाई
15								
16	मनोज पिता नन्हेभाई	123 / 2	बड़ू पि. कालूराम लोधी	दीवार बांस वल्ली छत टिनशेड भूसाधर	9.4x 3.8	35.72	निरंक	निवास नहीं है
17	मनोज पिता नन्हेभाई	123 / 3	मोहन पिता घनीराम	गाटर फर्सी	3.3x 3.4	11.22	निरंक	बद दुकान है
18	मनोज पिता नन्हेभाई	123 / 2	मनोज पिता नन्हेभाई लोधी	इंट की दीवार छत खपरैल	5x6	30	निरंक	बद दुकान है
19	नन्हे भाई पिता कुददा	123 / 3	नन्हे भाई पिता कुददा लोधी	इंट की दीवार छत खपरैल	2.7 x6	16.20	निरंक	बद दुकान है
20	मनोज पिता नन्हेभाई	123 / 2	सोमनाथ लोधी पिता	इंट की दीवार चददर छायी	2.7 x6	16.20	निरंक	बद दुकान है
21	नन्हे भाई पिता कुददा	123 / 3	धर्मराज पिता रामसेवक लोधी	इंट की दीवार चददर छायी	4.8 x6	28.80	निरंक	दुकान सचालित है

3. परियोजनातांगत भूमि अंजेन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित हैं और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
 (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
 (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानातरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वीकृत रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पालि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 6— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सूचधारे, यह रुनिश्चयत करने के लिए उपलब्ध जराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की

- जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य समिलित होनी चाहिए।
- (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 5— प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा रगोली तहसील सागर की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 888 रकवा 0.540 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।
- 6— अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारी और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 16/08/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा उप मुख्य अभियता निर्माण ।। परिश्वम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2023

क्र. F. Rev. 6-0018-2023-Sec 7-सात.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मन्दसौर जिले की तहसील सीतामऊ की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील क्यामपुर सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तहसील सीतामऊ (मुख्यालय सीतामऊ).	तहसील सीतामऊ के प. ह. नं. 1 से 31 तक, कुल 31 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	सीतामऊ तहसील सीतामऊ के प. ह. नं. 32 से 74 तक, कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे.	तहसील सीतामऊ के प. ह. नं. 1 से 31 तक, कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—प्रस्तावित तहसील क्यामपुर, जिला मन्दसौर. पूर्व में—तहसील सुवासरा दक्षिण में—आलोट एवं जावरा तहसील, जिला रतलाम. पश्चिम में—मन्दसौर जिला मन्दसौर.
2.	—	—	क्यामपुर	तहसील सीतामऊ के प. ह. नं. 1 से 31 तक, कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—तहसील मल्हारगढ़ पूर्व में—तहसील शामगढ़ दक्षिण में—तहसील सीतामऊ पश्चिम में—तहसील मन्दसौर.
3.	प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।				मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अबर सचिव.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अबर सचिव.